आवास भारती

वर्ष 9, अंक 30
जनवरी - मार्च, 2009

राष्ट्रीय आवास बैंक

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा रा.आ. बैंक का दौरा

संसदीय राजभाषा समिति के
माननीय सदस्यों द्वारा उद्‌बोधन

आदरणीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक, मुख्यालय की राजभाषा प्रगति का निरीक्षण 21 जनवरी, 2009 को किया गया। समिति ने बैंक द्वारा राजभाषा नीति अनुपालन एवं राजभाषा हिंदी में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए बैंक की प्रशंसा की।

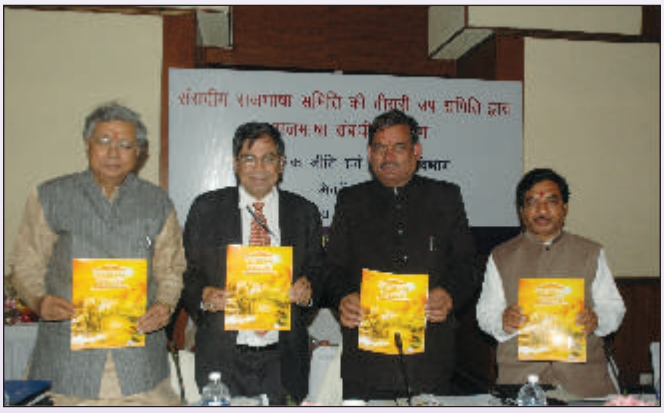

समिति पदाधिकारियों द्वारा
बैंक की हिंदी पत्रिका–
आवास भारती का विमोचन

माननीय समिति के सदस्यों द्वारा
राजभाषा हिंदी प्रगति पर चर्चा

आवास भारती

वर्ष 9, अंक-30, जनवरी-मार्च, 2009

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138

प्रधान संरक्षक

एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

सुरेन्द्र कुमार, कार्यपालक निदेशक

संयुक्त संरक्षक

राकेश भल्ला, महाप्रबंधक

संपादक

रंजन कुमार बरुन, प्रबंधक

सहायक संपादक

अमर सिंह सचान, (हिन्दी अधिकारी)

संपादक मंडल

सौरभ शील, क्षेत्रीय प्रबंधक

किशोर कुंभारे, प्रबंधक

पीयूष पांडेय, उप प्रबंधक

श्री अरविंद, उप प्रबंधक

लता रस्तोगी, सहायक प्रबंधक

सुकृति वाधवा, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषय सूची

विषय		पृष्ठ सं.
1.	संयुक्त संरक्षक की कलम से	2
2.	गृह ऋण पर ब्याज की अस्थिर दर	3
3.	मानव संसाधन प्रबधन : संस्था का एक महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ	5
4.	जनसंख्या : बोझ या संसाधन	8
5.	माँ और सीख	9
6.	हिन्दी-हमारी हिन्दी	12
7.	भारत के प्रदेश-त्रिपुरा	14
8.	सशक्त महिला-समृद्ध देश	16
9.	भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का वैश्विक एवं व्यापारिक महत्व	19
10.	काव्य सुधा	21
11.	राष्ट्रीय आवास बैंक की गतिविधियां	23
12.	राष्ट्रीय आवास परिवार समाचार	28
13.	आपकी पाती	32

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

संयुक्त संरक्षक की कलम से

बचपन में टॉफी पर दो पैसे खर्च करने से लेकर बड़े होकर घर चलाने तक हम अपने जीवन में कई प्रकार के आर्थिक निर्णय हर रोज लेते हैं। लेकिन अपने लिए घर खरीदने का निर्णय जीवन में किंचित एक ही बार लिया जाता है। आज के दामों पर देखा जाए तो एक घर का मूल्य व्यक्ति की मासिक आय का 100 गुना से 150 गुना तक हो सकता है। इतना बड़ा आर्थिक बीड़ा उठाने कि लिए ऋण का सहारा प्राय: लेना ही पड़ता है, जिसकी किश्त चुकाने में मासिक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहज ही लग जाता है और जिसको चुकाने में जीवन के 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं। संभवत: घर खरीदने का निर्णय आम आदमी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय होता है।

चिंता का विषय है कि इतना महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने के लिए आम व्यक्ति के पास न तो पर्याप्त जानकारी है और न ही शायद पर्याप्त समझ। ऐसी दुविधा के समय आम आदमी स्वयं को सही दिशा दिखलाने वाले 'पार्थ सारथी' के मार्गदर्शन से वंचित पाता है। इस अभाव की पूर्ति करने की दिशा में कुछेक प्रयत्न राष्ट्रीय आवास बैंक ने किये हैं। ऐसे में आवश्यक जानकारी से मार्गदर्शन दे पाने वाले ''निष्पक्ष आवास ऋण सलाहकार'' उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने आईआईबीएफ (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिग एंड फाइनेंस) के माध्यम से एक डिप्लोमा कोर्स की शुरूआत करवाई है। इसके अलावा घर बैठे ही आवश्यक सलाह व जानकारी प्राप्त करवाने के उद्देश्य से आवास सूचना पोर्टल भी उपलब्ध करवाया है। बड़े आर्थिक निर्णय लेने में आम व्यक्ति की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के यह छोटे-छोटे कदम हैं। इसी तरह कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय आवास बैंक आम आदमी और उसके घर के बीच की दूरी कम करने में साथ देता रहेगा।

राकेश भल्ला
महाप्रबंधक

गृह ऋण पर ब्याज की अस्थिर दर

-सोनिया भल्ला
सहायक प्रबंधक

पृष्ठ भूमि

पिछले दिनों देश में गृह ऋणों पर ब्याज दरों में हुए उतार-चढ़ाव के चलते एक प्रवृत्ति देखी गई जिनमें ऋणदाता संस्थानों जैसे बैंक/आवास वित्त कंपिनयों ने नए ग्राहकों को तुलनात्मक आधार पर कम ब्याज दरों पर आवास ऋण दिये, जबकि मौजूदा ग्राहकों को कोई लाभ नहीं दिया गया। यही प्रवृत्ति उन मामलों में देखी गई जब नए ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दरें दी गईं, मौजूदा ग्राहक अभी भी उच्च दर पर भुगतान कर रहे हैं और इस प्रकार फ्लोटिंग ब्याज दर से होने वाले लाभ से उन्हें वंचित रखा गया। इसके अतिरिक्त जब कोई मौजूदा ग्राहक ऋण एक मुश्त चुकता करना चाहता है तो उस पर भारी पेनाल्टी लगायी जाती है जो ग्राहक को किसी अन्य ऋणदाता एजेंसी के यहां ऋण लेने के लिए जाने से रोकने की प्रवृत्ति दर्शाती है।

फ्लोटिंग ब्याज दरें - बेंचमार्क

पिछले कुछ वर्षों से, विभिन्न ऋणदाता संस्थानों द्वारा स्थिर और फ्लोटिंग ब्याज दरों पर गृह ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध स्थिर ब्याज दरों में भी एक धारा होती है जिसके तहत ऋणदाता संस्थानों द्वारा बाजार परिस्थितियों के अनुसार तथा अन्य कारणों से परिवर्तन किया जा सकता है। फ्लोटिंग ब्याज दरें आमतौर से कुछ बेंचमार्क के अनुसार तय की जाती हैं जो प्राइम लैंडिंग दर (पीएलआर) या मॉर्टगेज रेफरेंस दर (एमआरआर) आदि हो सकती है। तदनुसार, फ्लोटिंग दर भी बेंचमार्क में उतार-चढ़ाव व निधियों के मूल्य तथा ऋणदाता संस्थानों के अन्य समान कारणों के अनुसार घटनी-बढ़नी चाहिए।

आमतौर से बेंचमार्क वह दर होती है जो या तो निष्पादकता का मूल्यांकन करने या बाजार में अन्य सम्बद्ध दरों के निर्धारण के लिए एक यार्डस्टिक के रूप में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए म्युचुअल फंड उद्योग में, विविध इक्विटी फंड्स अपनी निधियों की निष्पादकता के लिए सेंसेक्स का इस्तेमाल करते हैं तथा निवेशकों को निधियों की निष्पादकता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है।

एक अच्छे बेंचमार्क को स्वतंत्र होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति निष्पादकता का मापन कर रहा है या अन्य दरों के निर्धारण में इसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

फ्लोटिंग गृह ऋण दर निर्धारित करने के लिए वर्तमान उद्योग प्रक्रिया

भारत में, गृह ऋण दर सामान्यतया अन्त: संगणित संदर्भ दर से सम्बद्ध होती है जैसे प्राइम लैंडिंग दर (पीएलआर) या मार्टगेज रेफरेंस दर (एमआरआर) और जब कभी पीएलआर या एमआरआर में परिवर्तन होता है, फ्लोटिंग ब्याज दरें भी संशोधित की जाती है अर्थात नए तथा पुराने ग्राहकों दोनों के लिए। हालांकि, ऋणदाता संस्थान नए तथा भावी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेंचमार्क दर में बड़ी मात्रा में छूट देते हैं।

आमतौर से, बैंक और आवास वित्त कंपिनयां तब तक बेंचमार्क से प्रभावित नहीं होती हैं जब तक निधियों की लागत में बहुत कमी न हो जाए या बाजार हालात पीएलआर को घटाने के लिए मजबूर न करें।

बाजार के अन्य विलेखों से भिन्न रूप में, गृह ऋणों के बेंचमार्क स्वतंत्र उपाय नहीं होते हैं। गृह ऋणों के लिए बेंचमार्क प्राइम ऋण दर न तो रिजर्व बैंक द्वारा और न ही राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऋणदाता संस्थान अपनी आन्तरिक बेंचमार्क दरों की गणना करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ, आवास वित्त कंपनियों का बेंचमार्क गृह ऋण दर फुटकर प्राइम ऋण दर (आरपीएलआर) होती है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक फ्लोटिंग संदर्भ दर (एफआरआर) को बेस मानता है और भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक एडवांस रेट (एसबीएआर) को मानता है।

एक कारण यह भी है कि फ्लोटिंग दर से ऋण लेने वाले ग्रहक घटती दरों का लाभ क्यों नहीं ले पाते हैं कि बैंक फ्लोटिंग दरों को अन्त: बेंचमार्क से सम्बद्ध करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :

बैंक	बेंचमार्क	निर्धारक
सिटीबैंक	सिटीबैंक मार्टगेज प्राइम रेट	बैंक
एचडीएफसी	फुटकर पीएलआर	बैंक
आईसीआईसीआई	फ्लोटिंग संदर्भ दर (एफआरआर)	बैंक
एसबीआई	स्टेट बैंक एडवांस रेट (एसबीआर)	बैंक
बैंक आफ बड़ौदा	बीओबी प्राइम ऋण दर	बैंक
एचएसबीसी	प्राइम ऋण दर	बैंक
एबीएन एमरो बैंक	मार्टगेज फ्लोटिंग संदर्भ दर	बैंक
कोटकमहिन्द्रा बैंक	प्राइम ऋण दर	बैंक
आईएनजी वैश्या बैंक	होम पीएलआर	बैंक

आदर्शत:, बेंचमार्क दर बाह्य बाजार-सम्बद्ध दर होनी चाहिए।

बैंकों/आवास वित्त कंपनियों द्वारा चालू प्रक्रियाओं को अपनाने का तर्काधार

ऋणदाता संस्थानों द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाने के कारणों को मोटे तौर से निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है :

(i) बाजार परिस्थितियां; (ii) ऋणदाता संस्थानों की निधियों की लागत; (iii) आस्ति देयता प्रबंधन विशेषकर बाजार दर संवेदनशीलता के संबंध में; (iv) कम दर का प्रस्ताव करके नए ग्राहक बनाकर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा और; (v) ऋण धारकों के साथ दस्तावेज तैयार करने से भी ऐसा ही होता है।

इनके अतिरिक्त, ऋणदाता संस्थानों द्वारा कम दरों पर वृद्धिशील ऋण दिए जाते हैं, केवल नए ग्राहकों को ही बेंचमार्क दरों में छूट दी जाती है, मौजूदा ऋणियों पर पुरानी दरें ही लागू रहती हैं।

कुछ नई पहल जो सफल नहीं हुई

भारत में केवल दो ही बैंकों आईएनजी वैश्या बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक ने स्वतंत्र बेंचमार्क की शुरूआत की, किंतु 26 अक्तूबर, 2006 को उन दोनों ने उसे वापस ले लिया।

कोटक महिन्द्रा बैंक का बेंचमार्क उसके अपने एक वर्ष के सावधि जमा दर के लिए था, साथ ही नियमित पीएलआर-आधारित (अन्त: निर्धारित) दर थी। सावधि-सम्बद्ध दर सही अर्थ में निधियों की लागत दर्शाएगी; क्योंकि सावधि जमा दर में वृद्धि का आशय होगा कि बैंकों द्वारा अपने ऋणियों को भी उच्च दर से भुगतान करना होगा।

आईएनजी वैश्या बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा संचालित तीन माह के एफआईएमएमडीए-एनएसई मुम्बई इंटर-बैंक ऑफर दर (मीबोर) का इस्तेमाल किया। यह बेंचमार्क पूरी तरह स्वतंत्र है और अधिकतर देश समान 'इंटर बैंक दर' को ही मापन दंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, बेंचमार्क दरें जो गृह ऋणों पर दर के निर्धारण में प्रभावकारी होती है, बाह्य होती हैं तथा बैंकों का उन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। इंग्लैंड में, बंधक लंदन इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट (लीबोर) से सम्बद्ध होती है। बंधक ब्याज पर लीबोर से ऊपर एक निर्धारित प्रतिशत होती है, नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लीबोर में उतार-चढ़ाव के अनुसार परिवर्तित होती है।

आस्ट्रेलिया में, गृह ऋणों के लिए बेंचमार्क दर को औसत वार्षिक प्रतिशत दर (एएपीआर) कहा जाता है। एएपीआर में ब्याज भुगतान और शुल्क शामिल होता है तथा यह सभी शामिल करके एक दर बनती है, इस प्रकार यह ऋणी को ऋण पर कुल वार्षिक लागत दर्शाती है। वास्तव में, सभी ऋणदाताओं द्वारा गृह तथा व्यैक्तिक ऋणों का विज्ञापन देते समय इस बेंचमार्क का उल्लेख करना जरूरी होता है।

हालांकि, चीन में, बैंकों द्वारा समान बंधक दर को बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाना है, यद्यपि मौद्रिक प्राधिकरण ने बैंकों से गृह ऋणों के लिए एक सम्मिश्र दर को बेंचमार्क के रूप में अपनाने के लिए कहा है।

कुछ अन्य देशों में व्यवहारागत पद्धतियां निम्नानुसार हैं :

देश	बेंचमार्क	निर्धारणकर्ता
अमरीका	अन्त: पीलएलआर	बैंक
	राजकोषीय सूचक दरें	स्वतंत्र
	निधियों की लागत सूचक दरें	स्वतंत्र
	लीबोर-आधारित दरें	स्वतंत्र
इंग्लैंड	लीबोर	स्वतंत्र
	स्वतंत्र पीएलआर	बैंक
आस्ट्रेलियन	एएपीआर[1]	बैंक, विज्ञापनों में देना
चीन	समिश्र दर	मौद्रक प्राधिकरण ने सुझाव दिया है, किंतु बैंक आन्तरिक दरों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं

[1]वार्षिक औसत प्रतिशत दर

प्रस्ताव

जिन बाजारों के स्वतंत्र स्थिर गृह ऋण बेंचमार्क नहीं होते हैं तब इस कारण तथा सभी ग्राहकों के हित में, निम्नलिखित दो विकल्पों का सुझाव दिया जाता है :

क) ऋणदाता संस्थानों के लिए अपने बेंचमार्क की पारदर्शिता दर्शाना अनिवार्य किया जाए जैसे आस्ट्रेलिया में बैंकों द्वारा किया जाता है।

ख) ऋणदाता संस्थानों को एक स्वतंत्र बेंचमार्क की तरह गृह ऋण दरें निर्धारित करनी चाहिए जैसे मीबोर (MIBOR) होता है। उद्देश्यपरक बेंचमार्क संदर्भ दर की जरूरत निर्धारित जमा दरों के अनुसार होती है; क्योंकि वे बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए निधियों की लागत दर्शाती है। पूर्व में, बैंकों और आवास वित्त कंपनियों ने ग्राहकों के लिए विभिन्न स्वतंत्र बेंचमार्कों की जांच व परीक्षण किये। सावधि जमा दर-सम्बद्ध उत्पाद शुरू करना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि निधियों की लागत में वृद्धि जमा दरों को प्रभावित करेगी जिसके फलस्वरूप, ऋण दरें भी प्रभावित होंगी। इससे दर गणना में काफी पारदर्शिता आ जाएगी।

मानव संसाधन प्रबंधन : संस्था का एक महत्वपूर्ण और मज़बूत स्तंभ

–राम नारायण चौधरी
सहायक प्रबंधक

चीन के महान दार्शनिक कांग दुम ने कहा है **''यदि एक वर्ष के लिए नियोजन करना है तो बीज बोइए, यदि दस वर्ष के लिए नियोजन करना है तो पेड़ लगाइए किन्तु यदि सम्पूर्ण जीवन के लिए नियोजन करना है तो व्यक्तियों का विकास कीजिए''।** इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए तथा इस पर अमल भी करना चाहिए। किसी भी संगठन की सफलता उसके क्रियाशील एवं दक्ष कर्मचारियों/अधिकारियों पर निर्भर करती है। खासकर, उभरते बैंकिग परिदृश्य में जैसे बीमा उद्योग, दूरसंचार उद्योग आदि में जहां प्रतिस्पर्धा की तीव्रता से वृद्धि हुई है। ये उचित मानव संसाधन प्रबंधन के बिना बाज़ार में लम्बे समय तक टिक नहीं सकती हैं। मानव संसाधन के सफल प्रबंधन तथा उसके अधिकतम उपयोग पर किसी संगठन व संस्था की सेहत निर्भर करती है।

एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार, एक सामान्य मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपनी क्षमताओं का सिर्फ 7 प्रतिशत ही उपयोग कर पाता है जबकि उसकी 93 प्रतिशत क्षमताएं व्यर्थ रह जाती है। प्रगतिशील व्यावसायिक संगठन/संस्था को चाहिए कि वह मानव संसाधन के विकास, उत्पादकता, गुणवत्ता, कुशलता व प्रभावी कार्यदक्षता को प्राप्त करने हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहे। प्रशिक्षण कैरियर प्लानिंग, कैरियर डवलपमेंट तथा प्रबंधन व कर्मचारियों के बीच मानवीय दृष्टिकोण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। **ब्रर्ट्रेन्ड रसेल ने भी कहा है ''मानव केवल क्रूरता व दुखों को सहने की क्षमताएं ही नहीं रखता वरन् वह महानता, वैभव व परम उत्कृष्टता की अनन्त संभावनाएं भी अपने अंदर संजोए हुए है''।** मनुष्य के भीतर विद्यमान इन गुणों का उपयोग करना, उन्हें प्रकट करवाना किसी भी व्यावसायिक संगठन का लक्ष्य होना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्त कर कोई भी व्यावसायिक संगठन किसी भी कठिनतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ : मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ योग्य व्यक्तियों को सही समय पर, सही स्थानों पर एवं सही संख्या में लगाना है जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसी भी संगठन को शीर्षस्थ स्तर पर लाने तथा लाभप्रदता के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का विकास करना भी नितांत आवश्यक है। उन्हें अभिप्रोरित करना, उत्साहित करना तथा उनका समुचित ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। **मानव संसाधन व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें पूरी यूनिट, पूरी टीम, सुपरवीज़न, प्रबंधन, आदि समाहित हैं। सबसे प्रमुख बात कर्मचारियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की आती है क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी की कार्यकुशलता व उत्पादकता अधिक होती है और वे नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं।** साथ ही वे उच्च निष्पादन क्षमता के मानकों को प्राप्त करते हैं तथा पुरस्कृत होते हैं।

मानव संसधान प्रबंधन की अनिवार्यता/आवश्यकता : उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण (LPG) के वर्तमान दौर में, बैंकिंग उद्योग हो या बीमा, दूरसंचार हो या अन्य उद्योग सभी जगह तीव्र प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी हैं एवं इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियां, उद्योग, संगठन या फर्म अपने-अपने अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। भले ही कंप्यूटरीकृत तथा मशीनीकरण का विस्तार बड़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन मानव संसाधन को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता। सही समय पर उचित निणर्य लेने तथा इन यंत्रों के सफलतापूर्वक संचालन में मानवीय संसाधन अति आवश्यक है। इसलिए, मानव संसाधन पर तीव्र गति से ज़ोर दिया जा रहा है तथा आने वाले समय में सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन संभवत: मानवीय संसाधनों के क्षेत्र में होगा।

मानव संसाधन प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण तत्व/कारक : किसी भी संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा मानव संसाधन के विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं यथा - अनुशासन, कर्मचारियों की कार्यक्षमता व कार्यकुशलता में वृद्धि, कर्मचारियों का विकास एवं उनकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान, पदोन्नति, निष्पादन मूल्यांकन, अनौपचारिक कार्यकलाप, प्रशिक्षण व अभिप्रेरणा आदि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

(क) अनुशासन : प्रत्येक संगठन के लिए अनुशासन एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य सत्य है। अनुशासन सीमाओं, बंधनों तथा स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है। स्टाफ द्वारा निर्धारित नियमों के पालन से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रबंधन के भय या किसी दण्ड के भय से यदि संस्थान में अनुशासन होता है तो वह नकारात्मक सोच या नाकरात्मक प्रभाव दर्शाता है। बिना वजह व आवश्यकता से अधिक अनुशासन से कार्यरत अधिकारी अनिच्छा, डर तथा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। अनुशासन से सुरक्षा की भावना पैदा होती है तथा यह अनुशासनप्रिय व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है। स्टाफ की अभिवृत्तियों तथा रुचियों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों के व्यक्तित्व तथा संगठन को विकसित किया जा सकता है।

(ख) कार्यक्षमता व कार्यकुशलता में वृद्धि करना : मनुष्य के भीतर ईश्वर ने अद्‌भुत शक्तियां दी हैं। बस उन्हें जानने भर की देर है। **रामायण के दो महत्वपूर्ण पात्रों नल और नील को पता ही नहीं था कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर जल में डूबेंगे नहीं, स्वयं हनुमान जी अपनी उड़ने की शक्ति से अनभिज्ञ थे। जब देवताओं द्वारा इस संबंध में उन्हें बताया गया तो रावण पर विजय पाने का असम्भव सा लक्ष्य आसान हो गया। हर व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। बस उसे जगाये जाने की ज़रूरत है।** मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में नैतिकता एवं मूल्यों का विकास करना एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करना है तथा इसमें यदि वह सफल हो जाए तो संगठन सफलता के उच्चतम सोपान का भी पार कर जाएगा। अधिक दक्ष कर्मचारियों की सहायता से कार्य करने पर साधनों का समुचित उपयोग होता है तथा कम लागत पर सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

(ग) प्रशिक्षण : मानव संसाधन द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह चलता भी रहना चाहिए। प्रशिक्षण व्यक्तिगत, संगठन के लिए अथवा वर्तमान परिवेश में उत्पन्न हो रहीं नयी-नयी चुनौतियों का सामना करते के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य एक लक्ष्य/विज़न होना चाहिए ताकि संगठन भावी चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारी अपने कार्य को तो सही पूर्वक संपादित करता है, साथ ही अपने संगठन की वृद्धि व जीवंतता को बनाए रखने के लिए आने वाले समय में अपनी अपेक्षित भूमिका के प्रति भी तैयार रहता है। कर्मचारियों की गुणवत्ता प्रशिक्षण के स्तर पर निर्भर करती है। अत: प्रशिक्षण का उद्देश्य खानापूर्ति अथवा भ्रमण न होकर वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति करना होना चाहिए।

(घ) कर्मचारियों/अधिकारियों की समस्याओं का समाधान : संगठन में कभी-कभी राजनीति, चाटुकारी की वजह से अधिकारियों के बीच का वातावरण दूषित हो जाता है। यदि ऊपर के प्रबंधन में आपसी मन-मुटाव हो या शीतयुद्ध जैसा माहौल हो तो इसका प्रभाव नीचे के स्टाफ पर पड़ता है। यह माहौल कार्य करने की कुशल दशाओं में बाधा उत्पन्न करता है। अत: मानव संसाधन द्वारा उन जटिलताओं, बुराइयों व समस्याओं का सही समय पर निदान किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों की कार्यकुशलता में बाधा न हो एवं कर्मचारी टीम भावना से कार्य कर सके। टीम भावना विकसित करते हेतु गुणवत्ता समूह का निर्माण आवश्यक है।

(ङ) पदोन्नति : संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा कार्यनिष्पादन के आधार पर पदोन्नति का अवसर दिया जाना चाहिए। योग्य कर्मचारियों की सही समय पर पदोन्नति न केवल संस्थान के लिए वरन् व्यक्ति विशेष के लिए हितकारी, लाभकारी होती है क्योंकि यह कर्मचारी की सोच को सकारात्मक बनाए रखती है, कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखती है। अत: मानव संसाधन द्वारा पदोन्नति में राजनीति तथा चापलूसी की जगह अधिकारी की योग्यता, संस्था के प्रति उनके समर्पण व लगन, ईमानदारी, अनुशासन आदि को महत्व दिया जाना चाहिए।

(च) अनौपचारिक कार्यकलाप : मानव संसाधन द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों में समाज कल्याण की भावना भी विकसित करनी चाहिए। इस हेतु समय-समय पर खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नवोन्मेष बैंकिंग प्रचार, रक्तदान शिविर, पिकनिक, आदि आयोजित किए जाने चाहिए। इससे सभी कर्मचारियों में सहयोग व समन्वय का विकास होता है। आपस में विचारों का आदान-प्रदान होता है। इससे संस्था में कार्यरत लोगों के मानसिक दबाव व मानिसक तनाव कम होते हैं।

(छ) निष्पादन मूल्यांकन : निष्पादन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन/निर्धारण किया जाता है। इसका मुख्य ध्येय कर्मचारी के वर्तमान कार्य को बेहतर तरीके से करने में मदद करना होता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बैंकिंग, बीमा तथा दूरसंचार क्षेत्रों

में समयबद्ध कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों का निर्धारण होता है। निष्पादन मूल्यांकन द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति कर्मचारी का समर्पण तथा पोटेंशियल देखा जा सकता है एवं उनकी कार्यकुशलता/कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। उनके कमज़ोर व मज़बूत पक्ष को उजागर किया जा सकता है। कमज़ोर पक्ष उचित प्रशिक्षण द्वारा मज़बूत पक्ष में बदला जा सकता है। मूल्यांकन निष्पक्ष व बिना भेदभाव के किया जाना चाहिए।

(ज) अभिप्रेरणा (Motivation) : यदि कोई अधिकारी ज्ञानी, योग्य व दक्ष हो लेकिन अभिप्रेरणा का अभाव हो तो वह कार्य का निष्पादन सही पूर्वक संभवत: नहीं कर पाता है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि संगठन/संस्थान के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अत: मानव संसाधन के उचित परिणाम अभिप्रेरणा द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

मानव संसाधन विकास के मार्ग में बाधाएं :-

मानव संसाधन का कार्य काफी चुनौती भरा तथा कठिन होता है। मानव मस्तिष्कों को प्रबंधन तथा सभी के सोच को सकरात्मक रास्ते पर ले जाना कठिन कार्य होता है। अत: उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं :-

- अनुशासन
- नेतृत्व क्षमता का अभाव
- कार्य संस्कृति का अभाव
- प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव
- सहयोग तथा आपसी तालमेल का अभाव
- गुटबाज़ी व राजनीति का खेल आदि।

यदि प्रबंधन दूरदर्शिता से काम करे तथा समस्याओं की सही वक्त पर पहचान कर सके तो से कठिन कार्य को सरल करना असंभव नहीं है।

निष्कर्ष : वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में किसी भी संगठन की सफलता तथा असफलता में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहा जाता है **''सावधानी हटी, दुर्घटना घटी''**। किसी संगठन का मानव संसाधन जितना सजग, तत्पर होगा, वह संगठन उतना ही मज़बूत होगा। सरकारी संगठनों की अपेक्षा निजी संगठनों की लाभप्रदता तथा उसकी मज़बूती अपने आप में वर्णन करती है कि वहां मानव संसाधन काफी चुस्त व दुरुस्त है। मानव संसाधन प्रबंधन के प्रति उनकी सोच असरदार है। वे मानव संसाधन तथा समय प्रबंधन को भलीभांति जानती है अन्यथा प्रतिस्पर्धा के दौर में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अत: हम कह सकते हैं:-

''सही समय पर सही निर्णय, सही दिशा की ओर अग्रसर होना, सही कामों के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन मानव संसाधन है। विनम्रता तथा अनुशासन के साथ समय की मांग रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना समय प्रबंधन है।'' जापान, चीन जैसे देश मानव संसाधन प्रबंधन से विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। मानव संसाधन संस्था का एक महत्वपूवर्ण एवं मज़बूत आधार स्तंभ होता है जिस पर संस्था की छत टिकी होती है। इसे कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। **मानव संसाधन को निरंतर गतिशील रहने की ज़रूरत है क्योंकि निरंतर गतिशीलता ही सफलता है। बैठने वाले का भाग्य बैठ जाता है, सोने वाले का सो जाता है तथा चलने वाले का भाग्य निरंतर कर्म पथ पर साथ चलता रहता है।** अत: हमें हमेशा लक्ष्यगामी रहना चाहिए तथा नये लक्ष्यों को खोजकर व समयबद्ध होकर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से कहा जा सकता है कि–

''सभी संसाधनों में सर्वोपरि है, मानव संसाधन'', दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं–

इसे सही वक्त पर समझे चीनी, जापानी व जर्मन
विश्व आर्थिक महाशक्ति का तभी बने हुए है वे दर्पण।

अंत में, मुझे कहना है ''नई सोच की पहल तथा सतत प्रयासशीलता किसी भी व्यक्ति व संगठन/संस्था के लिए सफलता का आधार है। **पहाड़ से लुढ़कते हुए पत्थरों की भांति निरंतरता को प्रगति नहीं कहा जा सकता। प्रगति का अभिप्राय तो निरंतर नए कार्यों में पहले से है तथा मानव संसाधन का कर्तव्य व ज़िम्मेदारी संगठन एवं उसमें कार्यरत व्यक्तियों को उत्तरोतर विकास की ओर ले जाना है।**

जनसंख्या : बोझ या संसाधन

संजीव कुमार सिंह
सहायक प्रबंधक

नई दिल्ली, सोमवार की एक और सुबह। चारों तरफ जैसे अफरा-तफरी, लोगों का हुजूम और हर कोई कहीं जाने की कोशिश में है।

शहर की नई परिवहन व्यवस्थाएं, जैसे मैट्रो और ज्यादा चौड़ी सड़कें भी लोगों की भीड़ को बमुश्किल ही सम्हाल पाते हैं।

आज इस शहर की भीड़ दो दशक पहले की भीड़ से काफी अलग है। जहां पहले लोग दोपहर तक चाय की दुकानों पर गप्पें लगाते, अखबार पढ़ते या बीड़ी-सिगरेट सुलगाए सड़कों पर घूमते-फिरते दिखाई देते थे, वहीं आज लोग दौड़े-भागते दिखाई पड़ते हैं।

जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में गति आई और वह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल हुई, वैसे-वैसे यहां के गली और सड़कों के दृश्य भी बदले। यह लोगों की भाग-दौड़ और आपाधापी का शोर नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन का शोर है और लोग इस अर्थव्यवस्था रूपी इंजन के कल-पुर्ज़े हैं।

भारत में अलग-अलग समय पर अलग-अलग संसाधनों की भले ही कमी रही हो पर एक चीज़ में हम सदैव समृद्ध रहे और वह है ''मानव संसाधन'' और आज इसी संसाधन की बदौलत भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है।

70-80 के दशक तक भारत और चीन यानि की दोनों की देशों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का दबाव अत्यधिक था और इसके लिए पुरज़ोर प्रयास भी किए गए परन्तु भारत में जो चीज़ जनसंख्या पर अंकुश लगाने में आड़े आ रही थी, वह था यहां का लोकतंत्र और मतदाता, क्योंकि जिन मतदाताओं ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से अपदस्थ किया, उसके बाद किसी भी भारतीय सरकार में इतनी हिम्मत न थी कि इस मुद्दे को कड़ाई से लागू कर सके। जबकि इसके ठीक विपरीत चीन में तानाशाही की वजह से एक बच्चा अपनाने की नीति बहुत ही कारगर साबित हुई और इन्हीं नीतियों और प्रयासों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और चीनी परिवार कल्याण मंत्री को संयुक्त रूप से ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' के द्वारा पुरस्कृत किया गया। लेकिन 70 के अंत तक जनसंख्या विशेषज्ञों की हवाइयां उड़ी हुई थीं, उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। 80 के शुरूआती वर्षों में विद्वान बढ़ती जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की नए सिरे से विवेचना करने लगे थे।

भारतीय अर्थशास्त्री ''अमर्त्यसेन'' ने लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि भारत को आज़ादी के बाद से एक भी बार भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ा है जबकि उसकी आबादी लागातार बढ़ती रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री के अनुसार ''जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, साथ में रचनात्मक और नवोन्वेषण (Innovation) का संग्रह भी बढ़ता है।''

परन्तु जनसंख्या को एक संपत्ति के रूप में देखना तब से शुरू हुआ जबसे ज्ञान निर्भर उद्योगों जैसे-टेलीकम्युनिकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ। भारतीय लोकतंत्र और मतदाताओं की वजह से भारत अपनी एक अमूल्य संपत्ति को बचाने में कामयाब हो पाया जबकि चीन में एक बच्चा नीति की वजह से आज वहां यह स्थिति हो गई कि अधिकतर चीनियों के कोई चाचा, मामा या चचेरे भाई-बहन नहीं हैं, जिसकी वजह से चीनी जनसंख्या की बनावट 4,2,1 यानि 4-दादा-दादी+नाना-नानी, 2-माता-पिता और एक बच्चा।

इसका सीधा अर्थ कम कार्यशील लोग और इस व्यवस्था की वजह से एक ऐसी पीढ़ी सामने आई जो अत्यधिक ''मैं वादी'' है; क्योंकि इस पीढ़ी को कभी भी किसी चीज़ को बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।

सन् 2020 तक औसत भारतीय की उम्र 29 वर्ष, चीन और अमेरिका 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप 45 तथा जापान 48 वर्ष होगी। इस प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि यूरोप एक ऐसी जगह बनता जा रहा है जहां ''बूढ़े लोग, पुराने मकानों में अपनी पुरानी सोच के साथ रहते हैं।'' भारत अभी से कौशल युक्त श्रम (Skilled Labour) में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत हर वर्ष 20 लाख से अधिक अंग्रेजी बोलने वाले स्नातक, 15000 विधि स्नातक, 9000 डॉक्टरेट डिग्री धारक और लगभग 3 लाख इंजीनियर पैदा कर रहा है।

80-90 के दशक की जिस टैक्नोलोजी आधारित उद्योग की वृद्धि ने अमेरिका को समृद्ध बनाया, आज उस उद्योग की कुंजी भारत के पास है। क्योंकि भारत के पास ज्ञान और नवोन्वेषण (Innovation) का भण्डार है।

सन् 2020 तक भारत के पास इतनी कार्यशील आबादी होगी कि वह पूरे विश्व में हो रही इस कमी को अकेले पूरा कर सके। परन्तु भारत को सावधान रहना होगा, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा और अधिक से अधिक नौकरियों के लिए अभी से नीतियां बनानी होंगी, अन्यथा जो कार्यशील आबादी आज हमारी ताकत है, वही हमारी कमज़ोरी का भी कारण बन सकती है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि रोज़गार के अधिक से अधिक मौके उपलब्ध कराए जाएं। तभी हम इस जनसंख्या में तेज़ी से हो रही वृद्धि को अपने फायदे में बदल पाएंगे और तभी यह हमारे लिए भार न होकर एक अमूल्य संसाधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हो पाएगी।

माँ और सीख

अमर सिंह सचान
हिंदी अधिकारी

फाल्गुन मास का एक पखवाड़ा बीत चुका है। दिन में तेज़ धूप होती है मगर सुबह और शाम को पर्याप्त ठंड पड़ रही है। ठंड इतनी कि एक आधी बाजू का स्वैटर पहनकर या शाल ओढ़कर काम चलाया जा सकता हैं। कांता अपने घर आंगन में जल्दी-जल्दी से काम निपटाने में लगी हुई है। उसकी बेटी कमली की शादी दो दिन पहले ही पास के गांव के ज़मीदार के लड़के रमेश से हुई है। घर भर में अभी भी विवाह के तमाम चिन्ह बिखरे पड़े हैं। ज़्यादातर रिश्तेदार अपने-अपने घरों को जा चुके हैं, बस उसके मायके की दो भावजें अभी रुकी हुई हैं जो शायद कल जाने वाली हैं। उसके देवर और जेठ के परिवार आज ही सवेरे की गाड़ी से जा चुके हैं जो कि पास ही के शहर में रहते और अपना कारबार करते हैं।

कांता को जहां एक ओर यह खुशी है कि उसकी बेटी ने जैसे ही 12वीं पास की और ठीक अठारहवीं साल को दो महीने पहले ही पार कर पाई थी कि एक अच्छे-खासे घर में शादी हो गई। उसकी बेटी का पति, यानि कि उसका जमाई अभी ग्रेजुएशन ही पूरी कर पाया, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके दामाद के हिस्से 15 एकड़ ज़मीन आती है और वह जब चाहे शहर जाकर नौकरी या कारबार शुरू कर सकता है। उसकी बेटी के ससुराल का परिवार भी बड़ा नहीं है, बस उसकी बेटी कमली का एक देवर है और एक ननद। उसकी ननद की शादी भी कोई साल भर पहले ही हो गई है। हां, कमली के देवर की शादी एक माह में होने वाली है। कांता को पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी कमली राज करेगी। कमली की सास को भी वह जानती है। उसकी मौसी की बेटी के घर में ही तो कमली की ननद की शादी हुई है। एक तरह से यू कहिए कि उसी रिश्ते के माध्यम से तो उसकी बेटी की शादी का बानक बना था। कांता सोच रही थी कि वह कितनी खुशनसीब है जो उसे कमली के लिए लड़का खोजने से बहुत माथा पच्ची नहीं करनी पड़ी, वर्ना आज के जमाने में जब लड़की 18 वर्ष की हो और वर खोजने की शुरूआत करो तो वर मिलते-मिलते लड़की की उम्र 24-25 साल पहुंच जाती है। कोई दस रिश्तों को ढूंढो, तब कहीं जाकर एक पर बात बनती है।

कांता जहां मन ही मन अपनी बेटी के भविष्य को लेकर खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उसे अपनी बेटी की बड़ी याद सता रही थी। बार-बार बेटी की याद में उसके आंसू छलक पड़ते और वह उन्हें पल्लू के छोर से पोंछ लेती थी। वह शादी के बाद बचे सामान, मिठाइयों, दालों, मसालों को संभाल कर बांध रही थी। उसने सुबह अपने जेठ और देवर के परिवारों को खूब सारी मिठाइयां बाँध दी थी, पर उससे भी ज़्यादा मिठाइयां अपने मायके वालों को दे रही थी। आखिर वे लोग वापस जाकर मुहल्ले-पड़ोस में भी तो बांटेंगे और कहेंगे कि भाई कांता दीदी की लड़की की शादी की मिठाइयां हैं। वैसे भी कांता का मानना है कि शादी-ब्याह की बातें जितनी प्रभावी ढंग से प्रशंसा और तारीफ के साथ मायके वाले सुनाते और फैलाते हैं, उतने ससुराल वाले, यानि देवर, जेठ, ननदें व पड़ोसी नहीं फैलाते हैं, बल्कि उसे तो लगता है कि लोग ऐसी खुशियों से डाह और ईर्ष्या ही करते हैं। वे मुंह पर तो चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं पर पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ये लोग कभी कहेंगे, फलां की शादी में पांच तरह की ढेरों मिठाइयां बनाई और बांटी गई थीं, जबकि फलां ने तो केवल तीन तरह की तैयार कराई थीं। अरे भई, जिसका जितना सुभीता होगा, उतना ही तो वह करेगा। देखना तो यह चाहिए कि उसने आदर व सम्मान दिया। हर काम सहजता से निपट गया। सबसे मिल-जुलकर हाल जाने और प्यार से गले मिले। पर आज कल ये बातें कौन देखता है। आजकल तो लेन-देन व दान-दहेज का दिखावा ज्यादा होता है।

कांता को याद आ रहा था कि उसने अपनी बेटी को किस तरह से लोगों के साथ पेश आने के लिए बताया था। उसने कहा था- ''बेटे! कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, सबकी आज्ञा का पालन करना, देवर को अपना छोटा भाई समझना और देवरानी को छोटी बहिन और अपनी ननद को बड़ी बहिन समझना, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देना। सदैव सच ही बोलना। सास को मां जैसा, बल्कि उससे भी ज्यादा सम्मान देना। शाम-सुबह पांव छूना। ससुर जी का अपने पिता से भी बढ़कर मान करना। ससुराल में गलती होने पर कोई डांटे तो जवाब नहीं देना। अपनी छोटी देवरानी और देवर को कभी मत डांटना। प्यार से मिल-जुल कर रहना। इसी में तेरा बड़प्पन है।''

कांता को यह याद कर अचानक हंसी सी आ गई, जब उसकी बेटी ने कहा था - ''मां, अगर मेरी गलती नहीं हुई और फिर भी किसी ने डांटा, तो क्या मैं जवाब दे दूंगी?'' कांता का जवाब था - ''नहीं-नहीं, भूलकर भी उलटा जवाब मत देना। बेटी कुछ भी हो, तुम जवाब मत देना; क्योंकि ऐसा करने से लोग बहू को मुंहज़ोर, लड़ाकी और असभ्य समझते हैं।'' कांता ने अपनी बेटी को वह सारी बातें सिखाई जो एक आदर्श मां अपनी बेटी को एक आदर्श बहू बनाने के लिए सिखा सकती थी। कांता अपनी बेटी की खुशहाली को लेकर दिवास्वप्न में खोई हुई थी तभी पीछे से उसकी मायके वाली बड़ी

भाभी ने आवाज़ दी – ''कांता दी, हम लोग आज शाम को जाने वाले हैं, भूल तो नहीं गईं। काफी देर से आप चुपचाप कामों में लगी हैं।'' कांता ने जवाब दिया ''अरे नहीं भाभी भूली नहीं हूं, बस ज़रा यूं ही बेटी की याद आ रही थी। देखो न, घर कितना सूना-सूना सा लग रहा है। बेचारी मेरी कमली इस समय ससुराल में पता नहीं क्या कर रही होगी? हाय, मेरी नाज़ों पली, नरम-कोमल बच्ची! सच भाभी वह कमल जैसी ही नाज़ुक है। बड़ी भोली-भाली है, उसे दुनिया के छल-छंद बिल्कुल नहीं आते। पता नहीं, उसके ससुराल वाले उससे कैसे पेश आ रहे होंगे। हाय मेरी कमली।'' कहते हुए कांता की आंखों में सचमुच आंसू छलछला आए।

कांता की भाभी ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगी और बोली – ''ऐ कांता दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे केवल आपने ही अपनी बेटी ब्याही है। अरे भई, यह तो दुनिया की रीति है, सभी की बेटियां ब्याही जाती हैं और सभी ससुराल जाती हैं। माना कि आपकी बेटी नाज़ों-पली है, पर आपने तो उसे सारे काम-काज सिखा रखे हैं। सब कुछ सिखा-पढ़ा दिया है और फिर जैसे दुनियां भर की लड़कियां करती हैं, वैसा ही आपकी बेटी भी करेगी। अरे कांता दीदी, आज कल की लड़कियां तो पहली बार में ही ससुराल की हो जाती हैं और मायका भूल जाती हैं। अरे भाई, वह भी आम औरतों की तरह पति की सेवा करेगी, परिवार का खाना-पीना पकाएगी और साल दो साल में बच्चा पैदा करेगी और उनमें ही मस्त हो जाएगी।'' और फिर थोड़ा हंस पड़ी जैसे कि बड़े ही रहस्य की बातें बता डाली हों। ''हां भाभी जी! आप ठीक ही कर रही हैं पर क्या करूं, मेरा मन ही बावला और उचाट हो रहा है। अभी परसों ही विदा हुई है, पर अभी से देखने की जी करता है और लगता है जैसे महीनों पहले गई हो।'' कांता आर्द्र कंठ से बोली। ''अरे कांता दी, जब पहले-पहल घर से लड़की विदा होती है, तो हर मां-बाप पर ऐसी ही बीतती है। लेकिन दो-चार दिन में सब ठीक हो जाएगा और फिर एक महीने बाद तो वापस आ ही रही है तब अपनी बेटी और जमाई की जी खोलकर सेवा कर लेना।'' भाभी ने समझाते हुए कहा और आगे बोली – ''चलें दीदी! अपने चलने की तैयारी शुरू करें।'' ''हां, हां, भाभी'' कांता ने कहा – ''चलिए मैं आपकी मदद कर दूं और रास्ते में खाने-पीने की चीज़ें भी बांध देती हूं।''

सारे रिश्तेदार जा चुके थे। कांता के दूसरे बच्चे स्कूल जाने लगे और घरवाला खेतों के काम में लग गया। बेटी की शादी हुए एक महीना गुज़र गया था। आज शाम उसकी बेटी और दामाद लौट रहे थे। कांता के मन में उत्साह था और बेटी-दामाद की सेवा करने के लिए तमाम तरह के पकवान और खाना व मिठाइयां तैयार कर रही थी। देखते-देखते दिन गुज़र गया और इधर दिन ढला और उधर बेटी व दामाद घर पधार चुके थे। कांता ने खूब बलइयां लीं और बेटी को गले लगाया तथा काफी देर अंक में समेटे खड़ी रही, उससे बड़ा संतोष मिला। इसके बाद, दामाद का माथा चूम लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। झटपट आंगन में पलंग डाला गया और गद्दा, तकिया लगाकर दामाद को बिठाया गया। उसने अपनी बेटी को एक मचिया पर बिठाया। कांता ने सबसे पहले बेटी की साड़ी को हाथ लगाया, फिर बेटी के गले में पड़े हार को देखा और हाथों में पड़े कंगन। ये सारे गहने ससुराल वालों ने दिए थे जो काफी भारी थे। कांता के दिल को सूकून मिला। दामाद से दो चार मीठी-मीठी बातें करने के साथ अपनी बेट कमली का हाथ पकड़ा और भीतर की ओर ले जाते हुए बोली – ''चल बेटी थक गई होगी, कपड़े बदल ले और गरम पानी से हाथ-पांव धो ले।'' असल में कांता कमरे में जाकर अपनी बेटी से फटाफट ससुराल का हाल जानना चाहती थी।

कमरे के अंदर पहुंचते ही कांता ने सबसे पहले कमली के गहने छूकर देखे और फिर बेटी से तुरंत धीमे स्वर में पूछा ''अरी ओ कमली, ससुराल में सब ठीक तो है न, बेटी तेरी सास का स्वभाव कैसा है? तुझ पर हुकुम तो नहीं चलाती? तेरे वहां ससुर की ज़्यादा चलती है कि सास की।'' फिर और थोड़ी धीमी आवाज़ में पूछा – दामाद जी तुझे खूब प्यार तो करते हैं न, मेरा मतलब कि... ''ओह अम्मा! आप तो पूछे ही जा रही हैं। मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही हैं।'' बेटी ने बीच में टोकते हुए मां को रोका। इसके बाद कमली बोली – ''मां मुझे इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा कि सास की चलती है कि ससुर की। पर मां तुम्हारे दामाद जी मुझे खूब प्यार करते हैं। कहते हैं – ''कमली! अब तेरे बिना तो मेरा एक दिन भी मन नहीं लगेगा और तू अपने मायके एक महीने के लिए जा रही है।'' फिर खूब ज़ोर से हंस पड़ी। कमली आगे बोल गई – ''मां, मुझे भी तो उनके बिना अच्छा नहीं लगेगा।'' बीच में ही कांता बोली – ''अच्छा लाड़ो, एक महीने में ही दामाद जी का रंग चढ़ गया। हमारे ज़माने में तो सालों.....'' ''ओह मां.. तुम तो''... कहते हुए कमली शर्म से लाल हो गई.. ''मैं तो बस तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही थी।'' बाहर से कमली के बाप ने आवाज़ लगाई – ''कमली की मां! अरे चाय-वाय तो भेज भई।''

दूसरे दिन कांता का दामाद कमली को एक महीने के लिए मायके छोड़कर वापस लौट गया। शाम को खा-पीकर जब कमली अपनी मां के पास वाली चारपाई पर लेटी तो कांता उठकर बेटी की चारपाई पर बैठ गई। वह प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली ''बेटी कमली! तुझे खुश देखकर मैं बड़ी खुश हूं। मेरी बातें ध्यान से सुन। अब जब वापस ससुराल जाना तो रसोई में अपने पति और ससुर की पसंद का खाना बनाना। मर्दों के दिल में पेट के रास्ते जगह बनाई जाती है। देख बेटी! अगर तूने जमाई बाबू को अपने वश में कर लिया तो उस घर में तू राज करेगी। अपने मर्द को मुट्ठी में रखना।'' ''ओह मां, तू क्या

कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मर्द को मुट्ठी में करना कोई बच्चों का खेल है क्या? मर्द जब चाहे डांट देता है और चाहे प्यार करता है।'' बेटी तुनक कर बोली। ''अरे पगली! यही तो मैं तुझे समझा रही हूं'' कांता समझाते हुए खुशफुशा कर बोली - ''यदि औरत चाहे तो मर्द को मुट्ठी में कभी भी कर सकती है। देख यह बात गांठ बांध ले, मर्द जब भी तुझे अपने पलंग पर बुलाए, तभी मत पहुंच जाना। खूब मान-मनौवल बाद ही उसके पास जाना। रोज़-रोज़ मर्द की चिकनी-चुपड़ी बातों में मत आना। अगर फिर भी न माने तो पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द का बहाना करके टाल जाना। खूब तरसा कर उसे संतुष्ट करेगी, तभी वह तेरा गुलाम हो जाएगा।'' कमली हंसकर बोली - ''मां ये क्या बात रही है तू, मुझे तेरी बातें पल्ले नहीं पड़ रही हैं। मुझे नींद आ रही है। मैं सो रही हूं।'' कहते हुए वह सो गई।

दिन आए और गुज़रते गए। हर रात जब भी कांता को मौका मिलता, वह बेटी को सुखी रहने के गुर सिखाती रहती। आज फिर कांता को मौका मिला तो वह बेटी के पलंग पर बैठकर कुछ नुस्खे सिखाने लगी। बोली ''कमली तू मेरी बातें गांठ बांध ले, बड़ी काम आएंगी। देख सास की हर बात में हां में न मिलाना और अगर गलत बात कहे तो साफ जवाब देना। अगर सास ऊंची आवाज में डांटे तो तड़ाक से जवाब देना और फिर रोने-धोने की ड्रामा कर लेना और अगर तेरा पति या ससुर भी उपस्थित हो तो और ऊंची आवाज़ में दहाड़ मार कर रोना। पति को तो रात में अपनी सास और देवर के बारे में झूठी-मूठी एक की चार-चार बातें गढ़कर सुनाना। बीच-बीच में पति से मायके चले जाने की धमकी देती रहना।'' लेकिन मां विवाह से पहले तो तू मुझे कुछ और अच्छी-अच्छी बातें सिखा रही थी कि ऊंचे मत बोलना, पलट कर जवाब मत देना।'' कमली ने मां से प्रश्न किया। ''अरे बेटी वे तो सारी बातें शादी से पहले की थीं। असली ज़िंदगी में तो कुछ और ही होता है।'' कांता ने एक अनुभवी बुजुर्ग की भांति जवाब दिया। वह आगे बोली - ''देख कमली, यह एक मां की सीख है और मैंने दुनियादारी के अनुभव के बाद ही तुझे ये बातें बताई हैं। देख मायके से जो गहना-गुरिया तुझे दिए गए हैं, वे अपने पास ही रखना और जो गहने ससुराल वालों ने दिए हैं, उन्हें भी अपने पास ही रखना और सास वापस मांगे तो भूलकर भी वापस मत करना। तू तो भोली-भाली है, सास की बातों में आ जाएगी। कल को तेरे देवर की शादी में तेरे ही ज़ेवरात-गहने छोटी बहू को चढ़ावे में भेज सकते हैं। सास कहेगी कि बाद में छोटी बहू से वापस करा दूंगी, पर फिर तुझे वापस नहीं मिलने वाली।'' हां देवरानी के आने पर उसे अपने काबू में रखना। उस पर अपना हुक्म चलाना, जेठानी की तरह सख्ती से पेश आना।''

कमली बोली - ''मां, मैं इतनी समझदार हूं कि मुझे अपनी ससुराल और पति की भलाई को ध्यान में रखकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं जानती हूं।'' ''अरे तू कुछ नहीं जानती, कल की बच्ची मेरी समझदारी को चुनौती दे रही है।'' कांता ने जवाब दिया। आगे फिर बोली - ''तुझे अपनी मां की सीख समझ में नहीं आ रही है। रोज़ टीवी और सिनेमा में यही सब दिखाया जाता है। ''पैसा हाथ तो जगन्नाथ'' यानि कि पैसा वाला ही समर्थवान है। मैं तो कहती हूं कि अबकी ससुराल जाने के बाद अपनी सास को चिकनी-चुपड़ी बातों से फंसाकर घर की चाभी अपने हाथ में रखना। सास को तीर्थ यात्रा भेज देना। घर के खर्च के लिए ससुर जो पैसा दे, उसे आधा अपनी टेंट में रखना और आधा घर में खर्च करना।''

पूरे महीने हर रोज़ कमली की मां अपनी बेटी के भले को ध्यान में रखते हुए कोई न कोई सीख देती रही, जैसे कि ''बेटी अपने व पति को रोज़ मलाई वाला दूध पहले से निकाल लिया करना और अगर शेष दूध कम लगे तो उसमें एक गिलास फालतू पानी मिला देना। या फिर घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ बने तो एक कटोरी में अलग से निकाल कर पति को खिलाना और खुद खाना या फिर अपने व पति के भोजन में एक चम्मच फालतू देसी घी डालना और ये सारी बातें ऐसे करना कि किसी को पता न चले।'' जब तक कमली सो न जाती, मां की सीख चलती रहती।

कमली का पति लेने आ गया था। कल कमली चली जाएगी और उसकी मां कांता अपनी सभी नई-नई सीखों को याद दिला रही थी। इधर कमली सोच रही थी कि पता नहीं, मां को क्या हो गया है जो मेरे ब्याह से पहले कुछ और सिखाया करती थी। मगर अब कुछ और बातें सिखा रही है। पर उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि उसकी मां ऐसे क्यों कर रही है। चलते वक्त मां-बेटी गले लगकर रोई तो कांता ने एक बार फिर अपनी सीखों की याद दिलाई। तब कमली ने माँ से पूछा- ''माँ एक बात बता, यदि कल को मेरे भाई की पत्नी यानि मेरी भाभी यदि ऐसी बातें करेगी, तो क्या तुझे अच्छा लगेगा।'' ''कांता रोना भूल कड़क कर बोली - ''तेरी भावज ऐसा करेगी तो मुंह नहीं नोच लूंगी। बेटी, बेटी होती है और बहू, बहू।'' कमली हंसकर बोली - ''बस मां, मुझे जवाब मिला गया। मैं यहां बेटी हूं पर वहां बहू हूं, यह मत भूलना मां।'' और वह अपने पति के साथ चल पड़ी।

हिन्दी - हमारी हिन्दी

- उमेश मेहता
छाया पत्रकार

पिछले सितम्बर माह में किसी कार्य से भारत सरकार के एक मंत्रालय में जाने का अवसर मिला। वहां पर लगे एक बड़े से बैनर को देख मेरे साथ आए साथी ने मुझसे पूछ ही लिया - ''क्या आप बताएंगे कि इस बैनर पर जो लिखा है उसका अभिप्राय क्या है?'' मैंने ऊपर देखा उस पर लिखा था ''हिंदी पखवाड़े का आयोजन''। साथी की निगाहों में जिज्ञासा देख मैंने कहा, ''पहले कार्य समाप्त कर लें फिर बैठकर इस पर चर्चा करेंगे तथा संभव हुआ तो राजभाषा अधिकारी से भी मिल लेंगे।'' पर मैं स्वयं सोचने लगा कि इस हिंदी पखवाड़े की क्या आवश्यकता है और हिंदी भाषा पर ऐसी क्या समस्या है कि हमें ऐसे पखवाड़ों का आयोजन सरकारी स्तर पर करना पड़ता है।

कार्यालय में, कार्य पूर्ण हो जाने पर मैं दफ्तर से बाहर आने लगा कि साथी ने फिर याद दिलाया - ''हम हिंदी पर चर्चा कब करेंगे? यदि हो सके तो यहीं कैन्टीन में बैठ कर चाय पीते हुए मुझे हिंदी राजभाषा व इस पखवाड़े के आयोजन पर कुछ बताएं।'' मेरे हिंदी प्रेम को देखते हुए शायद मित्र मुझसे बहुत अधिक आशा कर रहे थे। कुछ सोचते हुए मैंने कहा - ''आओ कैन्टीन चलें, वहीं बात करेंगे। पर मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत अधिक तकनीकी जानकारी मुझे भी पता नहीं है पर अपने व्यावहारिक अनुभव से मैं कोशिश करूंगा कि अधिक जानकारी दे सकूं।''

मैंने कहा - ''देखो! 'हिन्दी' हमारे देश की राष्ट्रभाषा है जिसके द्वारा हम पूरे देश से संप्रेषण करते हैं'' साथी ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा - ''राष्ट्रभाषा और संप्रेषण कहीं कुछ समझ नहीं आया। ज़रा सरलता से बताओ।'' मैंने कहा कि थोड़ा सब्र रखो और सुनो - ''देखे हमारा भारत बहुत विशाल है। यहां हर ''चार कोस पानी बदले, आठ कोस में बानी''। यहां अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। हर प्रांत की अपनी भाषा है - जैसे, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयाली, पूर्व में बंगाली, उड़िया, आसामी, पश्चिम में मराठी, गुजराती, कोंकणी व उत्तर में हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, आदि-आदि।''

जब देश आज़द हुआ तो समस्या आई कि इस विशाल देश में जहां अनेकों भाषाएं बोली जाती हों, वहां आपस में सरलता से कैसे संप्रेषण हो। यानि कि विचार-विनियम के लिए एक मूल भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, सहज हो तथा सर्वमान्य हो और सर्वाधिक बोली जाती हो एवं पूरे देश को जोड़ने की उसमें क्षमता हो। स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वाधिक समझी व बोली जाने की भूमिका के देखते हुए काफी विचार-विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया क्योंकि यह सबसे अधिक प्रचलन में थी। तब 14 सितम्बर, 1949 को इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। प्रयत्न किया गया कि सरकारी कार्य में इसका अधिक से अधिक प्रयोग हो। उस समय यह बहुत ही कठिन कार्य था। कारण - अंग्रेजों में विरासत में मिली अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग कार्यालयों में अत्यधिक था। कुछ प्रांतीय भाषाएं भी थीं पर उनकी पहुंच व समझ हर प्रदेश व हर स्थान पर नहीं थी और भारत में अंग्रेज़ी का वर्चस्व उचित नहीं था। खैर, ज़रा सोचो, यदि केरल का व्यक्ति एक पत्र मलयालम में लिखे, तमिलनाडु का तमिल में, बंगाल का बंगाली में तथा गुजरात का गुजराती में तो केन्द्रीय स्तर पर कार्यालयों में संप्रेषण में हम सभी को कितनी कठिनाई होगी, क्योंकि हर व्यक्ति हर भाषा नहीं जानता। यदि सभी पत्रों का अनुवाद कर काम करना पड़े तो कितना जटिल व श्रमसाध्य होगा एवं कितना अधिक समय लगेगा कार्य के निष्पादन में। इसीलिए, भारत सरकार ने एक राजभाषा विभाग की स्थापना की, जिसका मूल कार्य था जनमानस व सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देना तथा प्रांतीय लोगों को सरकारी कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। धीरे-धीरे राजभाषा विभाग के योगदान के फलस्वरूप यह कार्य सरल से सरलतम की ओर अग्रसर होता गया व हो रहा है और इसी के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हम राजभाषा दिवस को हिंदी दिवस के रूप में बड़े उत्साह से मानते हैं।

मेरे साथ आए साथी ने पुन: प्रश्न कर डाला - ''मुझे बताओ कि जब हम सभी हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो इसमें जन जागरण की क्या आवश्यकता और इस हिंदी पखवाड़े का क्या महत्व और यह क्यों - ज़रा मुझे विस्तार से समझाएं।'' मैंने कहा, ''देखो मित्र - किसी भी दिवस को जब हम त्यौहार की भांति मानाते हैं तो उस दिवस के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आम आदमी को उससे जोड़ने व उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश रहती है। इसी प्रकार, जब हिंदी दिवस पर सभी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े या माह का आयोजन होता है तो कार्यालय में बड़े अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक सभी हिंदीमय हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि आज लगभग 60 वर्ष पश्चात् भी हमारा अंग्रेज़ी मोह नहीं गया है पर प्रयत्न तो जारी हैं और आंकड़े बताते हैं कि हमने इसमें काफी हद तक सफलता भी पाई है। आज किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय से आप हिंदी में बिना किसी हिचकिचाहट के सम्पर्क कर

सकते हैं और यह वास्तविकता से ईमानदारी व निष्ठाभाव के साथ हो भी रहा है। हिंदी पखवाड़े में कार्यालयों में हिंदी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक जनमानस इससे जुड़ें। हिंदी भाषा के प्रति सभी के मन में सम्मान हो। यहां मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं सभी भाषाओं के प्रति सम्मान रखता हूं चाहे वो अंग्रेज़ी ही क्यों न हो, कोई भी भाषा सीखना बुरा नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व को संवारती है तथा वह व्यक्ति एक अतिरिक्त गुण से संपन्न हो जाता है। हां, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं कि चाहें न चाहें, हम सभी कहीं न कहीं अंग्रेज़ी से ग्रस्त हैं। अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाने की कोशिश में रहते हैं व उनसे आशा करते हैं कि वे मातृभाषा की तरह ही अंग्रेज़ी भाषा में संप्रेषण करें। हिंदी का परित्याग कर अंग्रेजी का बढ़ावा खेदजनक ही नहीं; निंदनीय भी है।''

मित्र ने मुझे जिज्ञासा भरी नज़रों से देखा और प्रश्न कर डाला - ''बताओ, क्या यह दुविधाजनक स्थिति नहीं है कि एक तरफ तो सरकारी कार्य में हिंदी का महत्व व सरकार का अथक प्रयत्न तथा दूसरी तरफ जनमानस में अंग्रेज़ी का मोह? कैसे सुलझेगा यह? हमारे अपने जीवन में अंग्रेज़ी भाषा इतनी महत्वपूर्ण होने लगी है कि हम अभिजात्य व पढ़े-लिखे होने को प्रमाणित करने के लिए इस भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं और कभी-कभी तो इसका अशुद्ध प्रयोग भी कर डालते हैं। अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए हम कितने चिंतित व तनावग्रस्त रहते हैं। क्या केवल अंग्रेज़ी का ज्ञान ही व्यक्ति की योग्यता व कार्यक्षमता को सिद्ध करता है। मैंने ऐसी दुविधा अन्य देशों में नहीं देखी, वहां अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा के रूप में सीखते हैं। यहां अंग्रेज़ी कम आने पर हीन भावना महसूस होती है। क्यों नहीं हमारे यहां सोच बदलती।''

मैंने देखा मित्र कुछ उत्तेजित हैं। मैंने कहा - ''मैं यही तो अभी कह रहा था कि हिंदी का परितयाग कर अंग्रेजी का मोह गलत है। तुम्हारी बात यदि वास्तविकता में देखी जाए तो शत-प्रतिशत सही है। मेरे मन मस्तिष्क में सभी भाषाओं के प्रति पूर्ण सम्मान है। अंग्रेज़ी सीखने में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती, अपितु, इसे सीख कर आपके व्यक्तित्व में एक और आयाम जुड़ जाता है। पर मुझे दु:ख होता है, जब हम इस पर पूर्णत: निर्भर हो जाते हैं और इसकी दासता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि हिंदी की उपेक्षा करके खुद को तथाकथित 'अंग्रेजी दाँ' समझते हैं।''

मैंने जोर देते हुए कहा–हमें अपनी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा हिंदी के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। यदि हम सभी भारतवासी हिंदी में पारंगत नहीं भी हैं तो भी हम बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें संप्रेषण तो कर ही सकते हैं। हमारा देश तो अनेकता में एकता की जीती जागती मिसाल है।'' विदेशों में लगभग हर विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा सिखायी जाती है। और हां, तुम्हारी दूसरी बात अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा के रूप में सीखना तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। अपनी राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा के बाद अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा के रूप में सीखना ज्ञानवर्द्धक है जैसा कि अन्य बहुत से देशों में सीखा-सिखाया जाता है। मेरी समझ से ऐसा करने से अंग्रेज़ी-हिंदी के द्वंद्व से काफी हद तक बाहर आया जा सकता है।''

''सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है कि हिंदी भाषा को उसका उचित स्थान व सम्मान मिले तथा इस पर तेज़ी से कार्य भी हो रहा है। लेकिन यह कार्य अधिकतर सरकारी कार्यालयों में ही हो रहा है।'' मेरे मित्र बीच में ही बोले - ''मैं कई देशों में गया हूं और मेरा अनुभव है कि हम अपनी भावनाएं शत-प्रतिशत अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त कर पाते हैं।'' मैंने उत्साह से कहा - ''वाह, यही बात तो मैं बताना चाह रहा हूं इतने समय से और अब लगता है मैं इसमें कुछ हद तक सफल भी रहा हूं।'' मैंने कहा - ''क्या हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं? हम कितना हिंदी में अपने मित्रों, परिचितों से पत्र व्यवहार करते हैं। क्या उन तक दूसरी भाषा में हम अपनी भावनाएं पूर्णत: प्रेषित कर पाते हैं? क्या हम अपने रोज़मर्रा के व्यस्त जीवन में से कुछ समय हिंदी पठन-पाठन के लिए निकाल पाते हैं। क्या कभी कुछ हिंदी में लिखते हैं? सोचो - कहीं से तो शुरूआत करनी ही होगी तथा कुछ करना भी होगा।''

मेरे साथी बोले - ''क्या आप यह नहीं सोचते कि हिंदी फिल्मों, दूरदर्शन व रेडियो ने हिंदी का बहुत प्रसार किया है। पूरे भारत में यहां धर्म, जाति, रंग-रूप व संस्कृति भिन्न हैं। स्थान-स्थान पर जहां अनेकों भाषाएं बोली जाती हों, वहां इस सभी के बीच हिंदी को बढ़ाने में शायद हमारी हिंदी फिल्मों व दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों का बहुत योगदान है।'' मैंने कहा - ''आप जहां भी जाओ यह संदेश वहां सभी को देना कि देखो कितना सुंदर व सृजनात्मक है अपनी राष्ट्रभाषा से हृदय से जुड़ना, इसका सम्मान करना व इस पर गर्वित होना।''

मित्र मुस्कुराए और कहा - ''क्यों नहीं अब तो यह बातचीत मेरे हृदय पटल पर अंकित हो गयी है एवं आगे से मैं हिंदी भाषा का अधिक प्रचार व प्रसार करूंगा।'' इस बातचीत से मैं बहुत संतुष्ट व हल्का महसूस कर रहा था।

भारत के प्रदेश - त्रिपुरा

– सुभाष
उप प्रबंधक

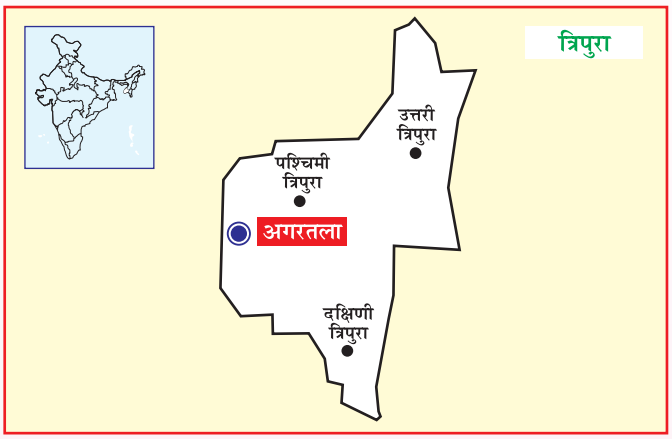

स्थापना-21 जनवरी, 1972; **क्षेत्रफल**-10,49,169 वर्ग कि.मी.; **राजधानी** -अगरतल्ला; **भाषा**-बंगाली, ककवार्क, मणिपुरी; **जिले**-4; **जनसंख्या**-31,99,203; **पुरुष**-16,42,225; **महिलाएं**- 15,56,978; **वृद्धिदर (1991-2001)**-15.74%; **जनसंख्या घनत्व**-304; **शहरी जनसंख्या**-17.02%; **लिंगानुपात (महिलाएं प्रतिहजार पुरुष)**-950; **साक्षरतादर**-73.2%; **पुरुष**-81.0%; **महिलाएं**-64.9%; **प्रतिव्यक्ति आय**-2866/- रु.

इतिहास

त्रिपुरा का इतिहास बड़ा पुराना और दीर्घकालिक है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति तथा दिलचस्प लोकगाथाएं हैं। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में 'राजमाला' गाथाओं तथा मुसलमान इतिहासकारों के वर्णनों से जाना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को 'फा' उपनाम से पुकारा जाता था जिसका अर्थ 'पिता' होता है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा के शासकों को मुगलों के बार-बार आक्रमण का भी सामना करना पड़ा जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिलती रहती थी। कई लड़ाईयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के सुल्तानों को हराया। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासिनक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्तूबर, 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारतीय गणतंत्र में शामिल हो गया। शुरू में यह भाग-सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश बना। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

भौगोलिक स्थिति : त्रिपुरा बंग्लादेश तथा म्यांमार (वर्मा) की नदी घाटियों के बीच अवस्थित है। इसके तीन तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर-पूर्व में यह असम और मिज़ोरम से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर पूर्व राज्यों के ''सेवेन सिस्टर्स'' में से एक है।

सिंचाई और बिजली

त्रिपुरा राज्य मुख्यत: पहाड़ी इलाका है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 10,49,169 हेक्टेयर है। अनुमान है कि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। 31 मार्च, 2008 तक 93,359 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई, गहरे नलकूप, दिशा परिवर्तन, मध्यम सिंचाई व्यवस्था, शैलो ट्यूबवैल और पंपसेटों के जरिए सुनिश्चित सिंचाई के प्रबंध किए गए हैं। यह राज्य की सिंचाई योग्य भूमि का 79.97 प्रतिशत और कृषि योग्य भूमि का लगभग 32.34 प्रतिशत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (जल संसाधन) द्वारा 1,411 डाइवर्ज़न स्कीम, 166 गहरे नलकूप स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं तथा 3 मध्यम सिंचाई योजनाओं- (क) गुमती (ख) खोवई और (ग) मनु के जरिए कमान एरिया के कुछ भाग को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। नहर प्रणाली का कार्य 2009-10 तक पूरा हो जाने की आशा है।

बिजली : राज्य की कुल बिजली की मांग लगभग 162 मेगावाट है। राज्य में अपनी परियोजनाओं से लगभग 80 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। लगभग 40 मेगावाट बिजली पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केंद्रों से राज्य के लिए आवंटित हिस्से से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार कुल उपलब्ध बिजली लगभग 120 मेगावट है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और राज्य में औद्योगिकीकरण के कारण 2012 में यह मांग बढ़कर 396 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

मुख्य फसलें : यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं - धान, गेहूँ, गन्ना, आलू और तिलहन। यहाँ का प्रमुख कृषि उद्योग चाय की खेती है। यहाँ 5,527 लाख हेक्टेयर भूमि में 59 पंजीकृत चाय बागान हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 45 लाख कि.ग्रा. चाय पैदा होती है।

प्रमुख उद्योग : एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का कारखाना, लकड़ी चीरने का कारखाना, इस्पात फर्नीचर का उद्योग, बढ़ईगिरी, दवा उद्योग, चावल मिल, कपड़े धोने का साबुन, आरसीसी स्पन पाइप, पीवीसी पाइप, आरा मिल, एल्यूमिनियम कंडक्टर, चमड़े की वस्तुएं, पोलीथिन पाइप, प्लाइवुड, फलों का डिब्बा, मोमबत्ती, तेल मिल आदि प्रमुख हैं।

शिक्षा व न्यालय : पूरे राज्य का शैक्षिक स्तर एवं साक्षरता दर पूरे देश की तुलना में बेहतर है। यहाँ का मुख्य विश्वविद्यालय त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतहला में स्थित है।

यह प्रदेश गुवाहटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसकी एक पीठ अगरतला में स्थित है।

परिवहन

सड़कें : त्रिपुरा में विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 1,997 कि.मी. है, जिसमें से मुख्य जिला सड़के 90 कि.मी., अन्य जिला सड़कें 1,218 कि.मी. और प्रांतीय राजमार्ग 689 कि.मी. हैं।

रेलवे : राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 66 कि.मी. है। राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत अगरतल्ला तक रेलमार्ग पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। मानू-अगरतल्ला रेल लाइन (88 कि.मी.) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है।

अगरतल्ला-सबरूम रेल लाइन विस्तार के कार्य को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अगरतल्ला और सबरूम के बीच एक नई बड़ी लाईन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी।

उड्डयन : त्रिपुरा का मुख्य हवाई अड्डा अगरतल्ला में है। इसके अलावा कैलाशहर, कमालपुर और खोबई में भी हवाई अड्डे हैं; लेकिन फिलहाल इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

पर्यटन स्थल : प्रमुख पर्यटन केंद्र इस प्रकार हैं :

पश्चिम-दक्षिण त्रिपुरा पर्यटन सर्किट : (क) अगरतल्ला (ख) कमलसागर (ग) सेपाहीजला (घ) नीरमहल (ङ) उदयपुर (च) पिलाक (छ) महामुनि

पश्चिम-उत्तर त्रिपुरा पर्यटन सर्किट : (क) अगरतल्ला (ख) दंबूर झील (ग) उनोकोटि (घ) जंपुई हिल

त्योहार

(क) पर्यटन समारोह

(i) आरेंज एंड टूरिज़्म फेस्टिवल-वांगमुन,

(ii) उनोकोटि टूरिज़्म फेस्टिवल,

(iii) नीरमलह टूरिज़्म फेस्टिवल,

(iv) पिलाक टूरिज़्म फेस्टिवल

(ख) सांस्कृतिक/धार्मिक उत्सव

(i) तीर्थमुख और उनाकोटी में मकर संक्राति, (ii) होली, (iii) उनोकोटी, ब्रह्मकुंड (मोहनपुर) में आशोकाष्टमी, (iv) राश, (v) नववर्ष, (vi) गरिया, धामेल, बिजू और होजगिरि उत्सव, (vii) नौका दौड़ और मनसा मंगल उत्सव, (viii) केर और खाची उत्सव, (ix) दुर्गापूजा, (x) दिवाली, (xi) जंपुई पहाड़ियों में क्रिसमस, (xii) बुद्ध पूर्णिमा, (xiii) रॉबिंदर-नजरुल-सुकांता उत्सव, (xiv) गली नाट्य उत्सव, (xv) चोंगप्रेम उत्सव, (xvi) खंपुई उत्सव, (xvii) वाह उत्सव, (xviii) सांस्कृतिक उत्सव (लोक उत्सव), (xix) मुरासिंग उत्सव, (xx) संघाटी उत्सव, (xxi) बैसाखी उत्सव (सबरूम) आदि हर वर्ष मनाए जाते हैं।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	उत्तर त्रिपुरा	2,820.63	5,90,913	कैलाशहर
2.	दक्षिणी त्रिपुरा	5,151.77	7,67,440	उदयपुर
3.	पश्चिमी त्रिपुरा	2,996.82	15,32,982	अगरतल्ला
4.	ढलाई	2,552.47	3,07,868	अंबासा

सशक्त महिला-समृद्ध देश (अंतरष्ट्रीय महिला दिवस पर संक्षिप्त रिपोर्ट)

– रंजन कुमार बरुन
प्रबंधक

जिस देश में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी, वह देश एवं समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा। हमारे धर्मग्रन्थों में भी लिखा गया है-'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता' इस सूत्र के बावजूद हमारे देश में नारी को अबला की संज्ञा देते हुए सदैव अपमानित और पददलित किया जाता रहा है। सदैव से यातना और शोषण की शिकार रही महिला के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरिका में वूमेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ शुरू हुआ। 1910 में अमरीका में महिला दिवस मनाए जाने का मुद्दा उठाया गया। शुरू में विभिन्न देशों में अलग-अलग तिथियों को महिला दिवस मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाद में इसके लिए 8 मार्च की तिथि घोषित की गई। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलओं के सशक्तिकरण में इस दिवस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पाँचवे दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा के साथ ही महिलाओं के लिए विश्व स्तर पर समानता की बात उठी। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने तथा लिंग भेदभाव समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा ने प्रेरक का काम किया। 1960 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगाँठ पर महिलाओं का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में वृद्धि करने की घोषणा की स्वीकृति प्रदान की गई।

महिला सशक्तीकरण क्या है?

1985 में नैराबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिला सशक्तीकरण को परिभाषित किया गया। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य-महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है। भारत में महिला सशक्तीकरण से आशय प्राथमिक रूप से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार व बराबरी लाना है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और ठोस रूप देने के लिए 1993 में बीजिंग से सम्पन्न अन्तराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में विधायिका में महिलाओं के भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत में इस दिशा में प्रयास करते हुए महिला आरक्षण विधेयक संसद में कई बार प्रस्तुत किया गया, किन्तु विभिन्न आपत्तियों एवं पुरुष प्रधानता के कारण वह अभी तक पारित नहीं हो सका है।

यद्यपि भारत के संविधान में महिला-पुरूष अमीर-गरीब तथा साक्षर- निरक्षर सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान की गयी है।

संविधान निर्माताओं ने सभी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन देते हुए संविधान की प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट दिया है कि संविधान के समक्ष स्त्री एवं पुरूष का कोई भेद नहीं है।

देश के संविधान में विशेष प्रावधान

स्वतन्त्रता के पूर्व देश में महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए संविधान में महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं। महिला अधिकार को संरक्षित करने तथा महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने वाली संवैधानिक व्यवस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है जोकि संविधान के भाग-3 के अंग हैं-

अनुच्छेद 14- संविधान के इस अनुच्छेद में व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को दिया गया है। यह अनुच्छेद महिला तथा पुरुष दोनों के मामलों में लागू होता है।

अनुच्छेद 15- इस अनुच्छेद के धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश इत्यादि आधारों पर विभेद न करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 15(3) में यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के हित को देखते हुए बनाया कोई कानून इस अनुच्छेद के विरूद्ध नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 16-इस अनुच्छेद द्वारा लोक नियोजन में पुरुष तथा महिला को समान अवसर दिये जाने का निदेश है। समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश भी इसी अनुच्छेद में हैं।

अनुच्छेद 23-24 - इस अनुच्छेद द्वारा नारी के शोषण, बलात श्रम, महिलाओं का क्रय-विक्रय इत्यादि पर रोक लगाए जाने का निर्देश है।

अनुच्छेद 39- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ऐसी नीतियाँ का निर्माण करेगा जिससे (क) स्त्री व पुरुष दोनों के जीवन

निर्वाह की स्थितियाँ बनें (ख) स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके।

अनुच्छेद 42- इस अनुच्छेद के राज्य को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश है जिससे महिलाओं को प्रसूति काल में वे सभी सुविधाएं मिल सकें जो उन्हें मानवीय आधार पर मिलनी चाहिए।

महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून

संविधान द्वारा प्रदत्त इन महिला अधिकारों को सम्यक् ढंग से लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनों का निर्माण किया गया है। मादा भ्रूण को प्रसव के पूर्व ही नष्ट कर दिए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 लागू किया गया जो मादा भ्रूण का पता लगाने की अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1959 (1986 में यथा संशोधित) दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देय से दहेज निषेध अधिनियम, 1961 तथा महिलाओं की प्रसूति सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 लागू किया गया। सती प्रथा पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से सती निषेध अधिनियम, 1987, कम उम्र में बालिकाओं के विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1976 तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध किए जाने वाले अश्लील प्रदर्शनों पर रोक लगाने हेतु स्त्री अशिष्ट निरुपण निषेध अधिनिम, 1986 लागू किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता में स्त्री की मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने पर संहिता की धारा 354 कें अन्तर्गत दण्ड की व्यवस्था की गई है। धारा 509 में भी स्त्री की लज्जा का अनादर करने वाले संकेतों अथवा प्रदर्शन पर दण्ड की व्यवस्था है। धारा 377 के अन्तर्गत बलात्कार को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिलाओं और बच्चों के विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया था। यह विभाग महिलाओं एवं बच्चों के विकास की देख-रेख के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार, यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों पर प्रभाव नियंन्त्रण के लिए 1998 में राष्ट्रीय कार्यवाही योजना तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य दुराचार की शिकार महिलाओं को समाज की मुख्या धारा से जोड़ना हैं।

राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग पर महिलाओं तथा बच्चों के विकास के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 'यूनिसेफ' तथा 'यूनिफेम' जैसे संस्थाओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त इस विभाग पर निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की भी जिम्मेदरी है-

1. अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1959
2. स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986
3. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
4. सती प्रथा निरोधक अधिनियम, 1987
5. शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल एवं शिशु आहार उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अधिनियम, 1992

राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सभी दायित्वों को निर्वहन तीन स्वायत्त संगठनों 1. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान 2. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा 3. राष्ट्रीय महिला कोष तथा एक सांवैधानिक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से करता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

अगस्त 1953 में स्थापित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्य समाज कल्याण तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना है। यह देश का प्रथम संगठन है जो इस दिशा में सर्वाधिक प्रयास करा रहा है। बोर्ड द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों में जरूरतमंद महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढ़ने वाली परियोजनएं, पारिवारिक परामर्श केन्द्र/ स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो, बच्चों के लिए अवकाश शिविर, सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण प्रसार योजनाएं और बालवाड़ियां, कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु-सदन और हॉस्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

राष्ट्रीय महिला कोष

यह योजना 1993 में आरम्भ की गई थी, इसे महिला राष्ट्रीय ऋण निधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य आय अर्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को लघु ऋण उपलबध कराना है। यह ऋण मुख्यत: डेयरी, कृषि, दुकान, हस्तशिल्प आदि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस कोष से कोई महिला जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी 11,000 रुपए प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), तथा 11800 रुपए प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) हैं, आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर अपनी आर्थिक गतिविधयाँ जारी रखने हेतु ऋण ले सकती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई। राष्टीय् महिला आयोग में एक अध्यक्ष तथा पाँच सदस्याएं होती हैं। इसके अतिरिक्त आयोग का एक सचिव भी होता है। अध्यक्ष, सदस्यों तथा सचिव की नियुक्ति केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग का मुख्य कार्य भारतीय संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनों की परिधि में रहते हुए महिलाओं को प्राप्त अधिकारों के हनन से सम्बन्धित मामलों की जाँच करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों तथा अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु संस्तुति करना है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2001

भारत में वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में देश में पहली बार राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति की घोषण की गई। महिला सशक्तीकरण की दिशा में केन्द सरकार द्वारा उठाया गया है यह अभिनव कदम था। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं-

1. देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु आधारभूत ढाँचा तैयार करना तथा सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में उन्हें शामिल करना।
2. महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित माहौल बनाना तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतन्त्रता में उन्हें समान रूप से भागीदार बनाना।
3. महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाना जिससे उन्हें यह अनुभव हो सके कि वे देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भागीदार हैं।
4. महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित नियमों, निर्देशों और कानूनों का गठन करना।
5. महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समुचित कानून बनाना।
6. महिलाओं के सामाजिक अधिकारों को स्थापित करने हेतु प्रयास करना।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में किए गए कुछ प्रमुख विधिक प्रयास

स्वतन्त्रता के बाद देश में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश की कुल आबादी में महिलाओं का प्रतिशत 48.3 है। लगभग आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं की राजनीति सामाजिक स्तर पर भागीदारी लगभग 10 प्रतिशत ही है। महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण स्थितियों को समाप्त करने तथा अन्य स्तरों पर उन्हें कानूनी संरक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रयास किए गए -

- महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक अभिनव प्रयास हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पारित करके किया गया। इस संशोधन द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय 1956 की धारा 4 की उपधारा 2 तथा धारा 23 एवं 24 का लोप कर धारा 6 को अंत स्थापित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को वही अधिकार दिया गया है जो पुत्रों को प्राप्त है।
- घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु एक विधेयक संसद द्वारा वर्ष 2005 के मानसून सत्र में पारित किया गया। प्रोटेक्शन आफ वुमेन फ्रॉम द डॉमिस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 नामक इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति सितम्बर 2005 में मिली। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न सहित सभी तरह की पारिवारिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संसद द्वारा 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन, 1992 पारित किया गया है। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में क्रमशः अनुच्छेद 243 (घ) तथा अनुच्छेद (न) द्वारा आरक्षित तथा अनारक्षित वर्ग की महिलओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- 15 फरवरी, 2006 को सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किए जाने का निर्देश दिया। महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण न्यायाकि कदम है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार शीघ्र ही इसके लिए एक विधेयक लाने जा रही है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए केन्द सरकार द्वारा नया कानून बनाया जा रहा है। इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2004 राज्य सभा द्वारा दिसम्बर 2006 में पारित किया चुका है। इस नए कानून में बाल विवाह कराने वाले माता-पिता के लिए सजा का प्रावधान है। साथ ही ऐसे विवाह से असंतुष्ट महिला (लड़की) की शिकायत पर विवाह को शून्य ठहराए जाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है।

भारत एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र का वैश्विक एवं व्यापारिक महत्त्व

– आदित्य शर्मा
उप प्रबंधक

भारत के पूर्वोतरी सीमांत से जुड़े म्यांमार से शुरू होकर जो भाग प्रशांत महासागर की तरफ पिलिपीन्स द्वीप समूह तक फैला है। वह आज दक्षिण-पूर्वी एशिया के नाम से जाना जाता है जिसमें म्यांमार और फिलिपीन्स के अलावा लाओस, थाइलैण्ड, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर व इण्डोनेशिया शामिल हैं।

चीन के दक्षिण से और आस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह सारा इलाका हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ एवं आत्मीय सम्पर्क बनाए हुए है। म्यामार के अलावा थाइलैण्ड, लाओ और कम्बोडिया में हिन्दू-बौद्ध प्रभाव जीवन के हर पहलू पर साफ दिखाइ देता है। कम्बोडिया का अंगकोरवाट का मन्दिर संसार का विशालतम हिन्दू देवालय और इण्डोनेशिया स्थित बोरो बुदूर का स्तूप बौद्ध-सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में हिन्दू संस्कृति से प्रभावित राज्यों की स्थापना हो चुकी थी।

साम्राज्यवाद और स्वतंत्रता आंदोलनों का दौर

1948 के आरम्भ में ही 4 जनवरी को बर्मा (अब म्यांमार) और 4 फरवरी को सीलोन (अब श्रीलंका) स्वतंत्र हो गए। 1945 में जापानियों की हार के बाद मलाया पर ब्रिटिश सैनिकों ने फिर से कब्जा कर लिया था। लेकिन 1957 में वह भी आजाद हो गया। 1963 में उसने सबाह (पहले का उत्तरी बोर्नियो), सारावाक और सिंगापुर के साथ मिलकर मलेशियन संघ की स्थापना की। लेकिन बाद में 1965 में सिंगापुर ने अपने को पृथक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया।

इण्डोनेशिया में जापान के आत्मसमर्पण के शीघ्र बाद राष्ट्रवादियों ने इण्डोनेशियाई गणतंत्र की घोषणा कर दी थी, लेकिन ब्रिटिश समर्थन से डच लोगों ने उस पर फिर से अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया और राष्ट्रवादियों के साथ उनकी लड़ाई छिड़ गई। युद्ध 1949 में समाप्त हुआ और उसी साल 27 दिसम्बर को इंडोनेशिया स्वतंत्र हो गया।

30 अप्रैल, 1975 को वियतनाम युद्ध हुआ जिसमें पहले फ्रांस को और फिर बाद में संयुक्त राज्य को हार खानी पड़ी। 1976 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। हो ची मिन्ह के सम्मान में सायॅगान का नाम हो ची मिन्ह नगर रखा गया। हो ची मिन्ह वियतनामी जनता के महान नेता थे। वियतनाम के स्वतंत्रता आन्दोलन का सूत्रपात किया था और 1969 में अपनी मृत्यु तक उसको नेतृत्व प्रदान किया।

हिन्द-चीन (इंडो-चाइना) में शामिल तीन देशों में से एक लाओस था, जिसने 1945 में अपनी स्वतंत्रता की घोषण कर दी थी लेकिन लाओस से पहले फ्रांसीसी और बाद में अमरीकी हस्तक्षेप जारी रहा। अमरीकी हस्तक्षेप 1973 में समाप्त हुआ।

हिन्द-चीन के तीसरे देश कम्बोडिया में भी जापानियों की पराजय के बाद फ्रांसीसी लौट आए थे। आखिर 1953 में फ्रांसीसियों ने उसे छोड़ दिया और कम्बोडिया आजाद हो गया। संयुक्त राज्य ने 1972 में वहाँ एक कठपुतली सरकार स्थापित की और वह वियतनाम में जो लड़ाई लड़ रहा था उसका दायरा कम्बोडिया तक बढ़ा दिया गया था। 1975 में अमरीकी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका गया, लेकिन उसके बाद कम्बोडिया में एक अत्यधिक बर्बर सरकार कायम हुई। इस सरकार का गठन कम्बोडिया के खमेर रूज (लाल खमेर) नामक एक साम्यवादी गुट ने किया था। उसका प्रधान पोल पोट था। उसने अपने ही देशवासियों के संहार की नीति अपनाई। अनुमान है कि इस सरकार ने 10 से 20 लाख कम्बोडियाइयों को मौत के घाट उतार दिया। इस बर्बर सरकार को वियतनामी सेना की मदद से 1979 में अपदस्थ कर दिया गया। अंतत: 1993 में कम्बोडिया में चुनाव कराए गए और एक संविद सरकार सत्तारूढ़ हुई।

8 अगस्त, 1967 को अमरीका की प्रेरणा से दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन (आसियान) की स्थापना की गई भले ही कहने को इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग था, परन्तु इसका असल मकसद वियतनाम और हिन्द-चीन के बीच ताकतवर साम्यवाद को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी करना था। जानकार विद्वानों ने यह बात भी स्वीकार की कि इस संगठन का स्वरूप थोड़ा बहुत नकस्लवादी भी था। नाममात्र के लिए चीनी जनसंख्या वाले सिंगापुर को इसमें शामिल किया गया था, पर इसके अन्य सदस्य मलेशिया, इण्डोनेशिया, ब्रूनेई और फिलिपीन्स मलयवासी ही थे। बरसों तक यह क्षेत्रीय संगठन निष्क्रिय ही रहा, क्योंकि इसे बाहरी शक्ति द्वारा प्रेरित प्रोत्साहित माना जाता था। परन्तु आज के बदले हुए वैश्विक भूमण्डलीकरण के दौर में सिंगापुर, मलेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के कारण यह संगठन न सिर्फ एशिया महाद्वीप में, बल्कि अमरीका, यूरोप, अफ्रीका व आस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हो रहा है।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश और भारत की महत्ता

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों (आसियान) की भूमण्डलीकरण के दौर में बढ़ते आयाम की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति की एक विशेष 'पूर्व की ओर देखो' (लुक ईस्ट पॉलिसी) नीति रही है। इस नीति में दक्षिण-पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया विशेषत: इनके क्षेत्रीय संगठनों पर ध्यान दिया गया। एशिया-प्रशान्त में आसियान को भारतीय नीति का केन्द्रीय बिन्दु माना गया है। भारत अपनी पूर्व की ओर देखो नीति में तीन सूत्री कार्यक्रम अपना रहा है, जो इस प्रकार है-

1. आसियान के सदस्यों से राजनीतिक सम्बन्धों का नवीनीकरण करना।
2. दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक सम्पर्क बढ़ाना जैसे - व्यापार, निवेश, पर्यटन, विज्ञान और तकनीकी आदि।
3. राजनीतिक समझ बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के अनेक देशों से मजबूत रक्षा सम्बन्धों की स्थापना करना।

भारत के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंध

20-22 नवम्बर, 2007 को सिंगापुर में वहाँ के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग की अध्यक्षता में सम्पन्न दक्षिण-पूर्वी एशिया के 10 देशों के समूह आसियन का 13वाँ शिखर सम्मलेन व भारत-आसियान छठा शिखर सम्मेलन इसी नीति की अगली कड़ी का द्योतक है जिसमें आसियान के ऐतिहासिक चार्टर को स्वीकार किया जाना शिखर सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि रही। आसियान देशों की आर्थिक समृद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत-आसियान के बीच सन् 2007 तक 30 अरब डॉलर के व्यापार के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया गया और सन् 2010 तक इस व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय प्रधान मंत्री ने शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि आसियान देशों के बीच व्यपार बढ़ाने के लिए वीजा नियमों को सरल बनाना होगा। भारत व आसियान देशों के मध्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास सम्बन्धी शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 10 लाख डॉलर की प्रारम्भिक राशि से भारत-आसियान विज्ञान एवं तकनीकी कोष की स्थापना की घोषणा की । इंडिया-आसियान ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना का आह्वान करते हुए इसकी पायलट परियोजनाओं के लिए 50 लाख डॉलर की प्रारम्भिक राशि वाले एक इंडिया-आसियान ग्रीन फंड की पेशकश भी उन्होंने की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आसियन के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) सम्बन्धी समझौता 2008 तक सम्पन्न कर लिया जाएगा।

आज क्षेत्रीय सहयोग के सफल प्रायोजकों में आसियान का जिक्र होता है, तो इसे एक सुखद संयोग ही समझा जाना चाहिए। सौभाग्यवश इण्डोनेशिया खनिज तेल के निर्यात से जल्द ही मालामाल हो गया और ब्रूनेई की दशा में पलक झपकते बदल गई। मलेशिया में डॉ. महादेव और सिंगापुर में लो कुआ यू की जनहितकारी तानाशाही ने इन दो देशों की आर्थिक प्रगति की गति तेज की।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की दशा जानने के लिए हम उसे भारत व दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बीच बढ़ते रिश्तों से आँक सकते हैं। भारत व इण्डोनेशिया के बीच जनवरी-जून 2007 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 52.4 प्रतिशत बढ़कर 3.11 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। इण्डोनेशिया से भारत में किए जाने वाला आयात 77.6 प्रतिशत बढ़कर 2269 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। जबकि हमारे निर्यात ने 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 84.7 मिलियन अमरीकी डॉलर का हो गया। वहीं फिलिपीन्स के साथ फिक्की के अनुसार वर्ष 2010 तक 2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। भारत-आसियान और चीन के बाद मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्तमान में व्यापार संतुलन मलेशिया के पक्ष में है।

विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी की 18-20 जून, 2007 की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और संवर्धित करने के लिए अनेक नई पहलकदमियाँ की गई। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2005-06 से 2006-07 तक भारत सिंगापुर व्यापार 30 प्रतिशत बढ़ा।

भारत एवं आसियान देशों के बीच वर्तमान चुनौतियाँ

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का खासकर भारत के साथ जिस तरह कदम-दर-कदम बढ़े हैं भारत के साथ ही ये आसियान देश भी भारत जैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्यओं व चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। आज जो चुनौतियाँ हैं-उनमें प्रमुख है आतंकवाद की समस्या। आतंकवाद की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है जिसकी लपेट में न सिर्फ भारत, अमरीका, आसियान व अन्य देश हैं, बल्कि इसका जनक पाकिस्तान भी इसका गम्भीर परिणम झेल रहा है।

मलेशिया में हिंड्राफ (हिन्दू राइटस एक्शन फोर्स) के खिलाफ सरकार द्वार देशद्रोह के आरोप में उठाया गया कदम सामाजिक धर्मनिरपेक्षता पर लगाया गया प्रश्न है।

तेल उत्पादक खाड़ी के देशों द्वारा समय-समय पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आर्थिक मंदी भी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के लिए एक चुनौती है, जिसका समय रहते निदान, अर्थात ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग करना समय की आवश्यकता हो गई है।

अमरीका व चीन का प्रशान्त महासागर एवं हिंद महासागर की ओर बढ़ता कदम भी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के लिए एक गम्भीर चुनौती है जो इन देशों के बीच वैमनस्यता का भी कारण बन सकती है।

इसके अलावा दक्षिण-पूवी एशियाई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इनका प्रशान्त महासागर के ऐसे क्षेत्र में अवस्थित होना है जहाँ प्राकृतिक आपदाएं खासकर समुद्री तूफान व भूकम्प इनके चौखट पर हमेशा खड़े रहते हैं जो हर समय इनको घर से निकलते ही निगलने के लिए तैयार रहते हैं।

काव्य सुधा

क्या दुनिया बदल गई है?

प्रस्तुति : अमर सिंह संचान,
हिन्दी अधिकारी

क्या नहीं आपको लगता है कि यह दुनिया जितना आगे बढ़ आई है
हम उतना ही पीछे और बहुत पीछे भी खिसके हैं।।
विज्ञान के नित-नूतन विकास से विश्व भले ही बन गया एक ग्राम।
इससे भी आगे उड़ कर मानव पहुँचा चाँद और तारों के पार।।
,आज देश की सीमाओं के होते भी हम सब हैं सीमाविहीन।
एक दूसरे के देशों में ही नहीं; बल्कि गृह-कक्षों में भी प्रवेश असीम।।
इतना सब कुछ होने के बावजूद आज मानव है रीता-रीता।
इस भाग दौड़ में भूल गया है, रामायण व भूल गया है गीता।।
हर इंसान मस्त है अपने हित साधन में परहित कोई नहीं जीता।
भाई चारे की बात दूर अब बहुत हुई, कौन रहा किसका भाई
अब मानवता का रिश्ता खत्म हुआ है बन गये सभी हैं व्यवसायी।
हम सभी लाभ देखते हैं अपना, कहते हैं नैतिकता भाड़ में जाए।
हाय-हैलो तक ही रह गए पड़ोसी, दुख-सुख में न होता कोई सहाय।।
मोबाइल, कम्प्युटर, टीवी तक सिमटी दुनिया, दूर भाई से हो गयी बहिना।
केवल यादें बन गई नदियां, नद, पनघट, गन्ना-कोल्हू, पानी के रहट।
कहाँ गया गुल्ली डंडा, पिट्ठू पाड़ा, लब्बो डंडा,
दिखता नहीं अब कंचों का खेल।
क्या नहीं आपको लगता है कि दुनिया बदल गई है बहुत कुछ खोकर?

यदि मैं पक्षी होती

प्रस्तुति : सुरभि गोयल, तीसरी कक्षा
सुपुत्री श्री विशाल गोयल क्षे.प्र.

यदि मैं पक्षी होती तो कितना अच्छा होता,
खुली हवा में उड़ती, पेड़ों पर नीड़ बनाती।
पेडों के ऊपर से बच्चों को खेलते हुए देखती,
और कभी बिल्ली दिख जाती तो मैं उड़ जाती।
बिजली के तारों पर कभी भी नीड़ नहीं बनाती,
घरों के ऊपर चू-चू-चू करती उड़ती-फिरती।
अंडों को अच्छी तरह सहेजती और संभालती,
जब बच्चे अंडों में से बाहर निकल आते,
तो उनका बहुत ख्याल रखती।
मैं पिंजरे में कभी भी नहीं रहना चाहती,
मैं पक्षी होती तो मैं कैसी दिखती?
यदि मैं पक्षी होती तो यह सब चीज़ें करती।

आज की सरकार

प्रस्तुति : श्रीमती मंजू सिंह
धर्मपत्नी संजीव कुमार सिंह, स.प्र.

आज की सरकार
हो गयी हैं तार-तार
हाल को पूछते हो
एक दम बेहाल।
नेता कुर्सी पकड़े हुए
नहीं हैं छोड़ने को तैयार
ये फेविकोल का मजबूत जोड़ हैं
जल्दी नहीं छूटेगा यार।
दम लगाके हयिशा भी
नहीं आया कोई काम।
रोज होते हैं चुनाव
नये वादे-नयी कसमें
खाते हैं ऐसे
जैसे खा रहे हों बड़ा पाव।
आज इसकी सरकार
कल उसकी सरकार
बस मच रही है
खींचातान;
सिर्फ एक कुर्सी के लिए
हर तरफ मचा है बवाल
तैयार हैं सब खींचने को
एक-दूसरे की टांग।
आप ही बताएं
कैसे हो इस समस्या का समाधान
बेचारी जनता पिस रही हैं
गेहूँ में घुन की तरह
और सहती है
उनके वार पर वार।
उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता
जहाँ हो ऐसी सरकार।

राष्ट्रीय आवास बैंक की गतिविधियाँ

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बैंक परिसर में एक समारोह

बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बैंक परिसर में एक समारोह का आयोजन किया एवं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवा बैंक की चेयरमैन श्रीमती रेनाना झाबवाला उपस्थित थीं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस श्रीधर ने समारोह का उद्घाटन करते हुए महिला सशक्तीकरण पर बल देते हुए महिलाओं की आर्थिक विकास में भूमिका को और अधिक मजबूत करने के लिए बल दिया।

मुख्य अतिथि सुश्री रेनाना झाबवाला ने महिलाओं की बैंकिंग क्षेत्र एवं आवास की भूमिका विषय पर बोलते हुए महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों का परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए महिलाओं को आर्थिक विकास धारा में और मजबूती से आने के लिए जोर दिया तथा 'भारतीय महिला के लिए घर के मायने'' विषय पर रोचक आख्यान प्रस्तुत किया।

वित्तीय समावेशन से स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार

बैंक ने नीदरलैंड्स के एक अग्रणी गैर-सरकारी संगठनन 'वेस्ट' (डब्ल्यूएएसटीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीदरलैंड्स का यह गैर-सरकारी संगठन विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुधार के प्रति समर्पित है और यह भारत में शीघ्र ही उसकी ओर से प्रारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होगा।

भारतीय संस्थानों के साथ भागीदारी में 'वेस्ट' (डब्ल्यूएएसटीई) द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम को यथा ''वित्तीय समावेशन से स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार' शीर्षक दिया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष की अवधि में देश के 10 लाख परिवारों के लिए शौचालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रावधान की संकल्पना की गई। यह राशि मुख्य रूप से कुछ अनुदान संघटकों के साथ ऋण की निधियों से निधिकृत की जाएगी।

आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की बैठक

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के संयुक्त सचिव बैठक को संबोधित करते हुए

दिनांक 19.02.2009 को नई दिल्ली में आवास वित्त कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य अधिकारियों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस० श्रीधर ने की। बैठक में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस०के० सिंह तथा उसी मंत्रालय में निदेशक श्री पंकज जोशी, वित्त मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार डॉ० विनीता कुमार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की महाप्रबंधक सुश्री कमला राजन भी उपस्थित थी। श्री अरुण गायेल निदेशक एफॅआईयू-इंड ने मनी लांडरिंग से सम्बंधित कानूनों के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षाओं के विषय में प्रकाश डाला। साथ ही एचडीऍफसी के प्रबंध निदेशक श्री के के मिस्त्री, क्रिसिल लिमिटेड के वरिष्ठ निदेशक श्री रमण ओबेरॉय तथा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर ओ पी माथुर ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना तथा ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत निष्पादन की समीक्षा की गयी तथा रेजोडेक्स अपेक्षित आंकड़ों के विषय में भी चर्चा की गयी।

आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की बैठक का एक दृश्य

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य अधिकारियों की बैठक

बैठक में भाग लेते अधिकारीगण

दिनांक 19.02.2009 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य अधिकारियों की भी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस० श्रीधर ने की। भारतीय रिज़र्व बैंक की महाप्रबंधक सुश्री कमला राजन भी उपस्थित थीं। बैठक में मुख्यत: ग्रामीण आवास ऋण तथा उससे जुडी समस्यओं पर चर्चा हुई तथा ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निष्पादन की समीक्षा की गयी।

इसके अलावा भविष्य में बैंक में प्रारंभ की जा सकने वाली योजनाओं के बार में उन्हें सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रतिभागियों को संबोधित करतें हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. श्रीधर

आवासीय सूचना पोर्टल का शुभारंभ

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गर्वनर बटन दबाकर आवासीय सूचना पोर्टल का उद्घाटन करते हुए

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार किए गए आवासीय सूचना पोर्टल को 19 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉ० राकेश मोहन ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस० श्रीधर एवं अन्य गणमान्य महानुभावों को उपस्थिति में देश को समर्पित किया।

बैंक द्वारा तैयार किए गए इस पोर्टल में अन्य के साथ साथ-

- घर खरीदने/बेचने के बारे में आवश्यक जानकारी
- नई आवासीय परियोजनाओं की जानकारी
- स्टाम्प डयूटी/लोन पात्रता/मासिक किस्त गणना/टैक्स/प्रापर्टी टैक्स आदि की गणा के लिए उपयोगी कैलकुलेटर आदि उपलब्ध हैं।

आवासीय सूचना पोर्टल का एक गणक (कैलकुलेटर)

राष्ट्रीय आवास बैंक की पहल–भारतीय आवासीय सूचना पोर्टल

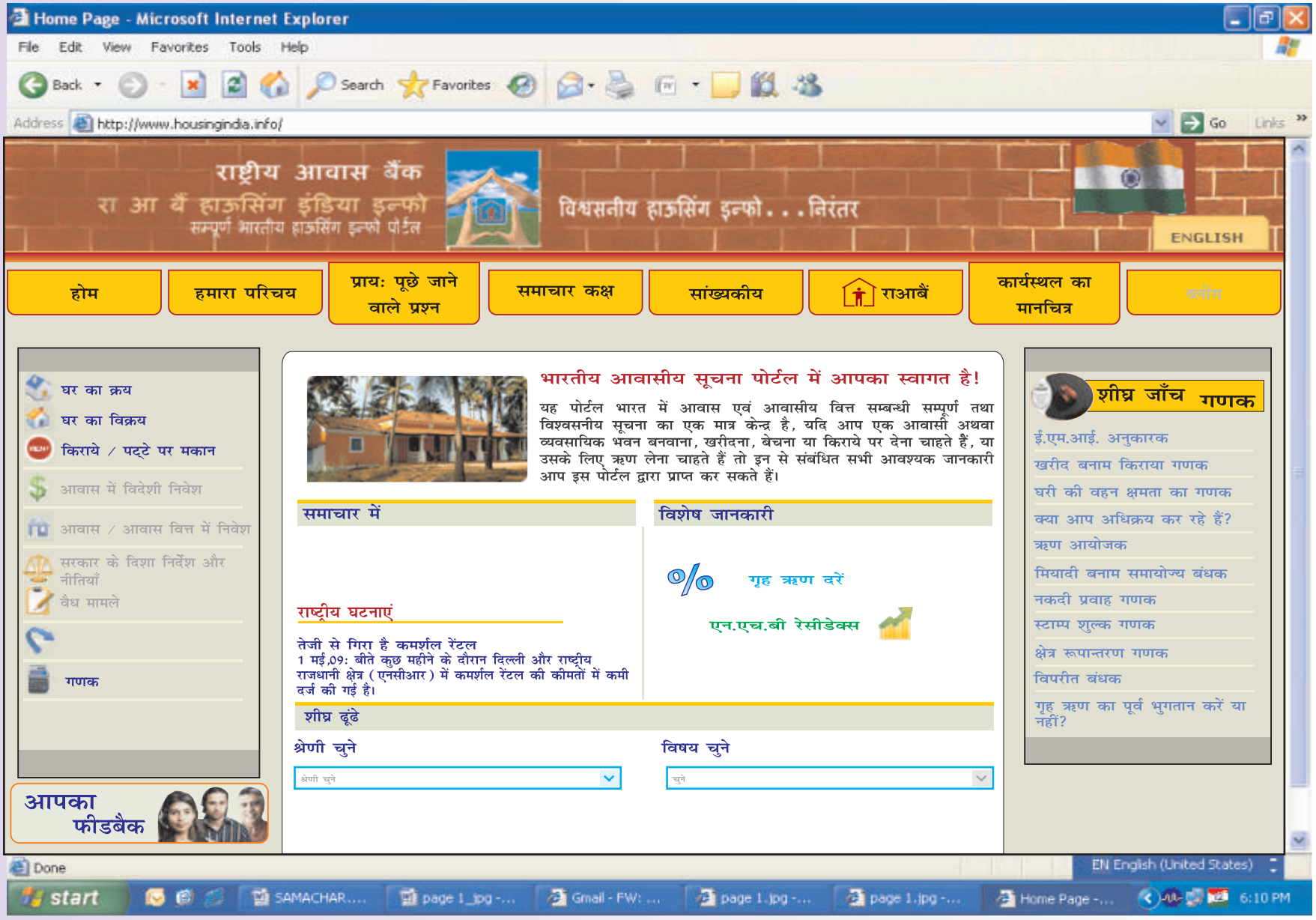

अनुसंधान पुस्तिकाओं का विमोचन

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इक्नामिक रिसर्च के सहयोग से-आवासीय संपत्ति मूल्य-पद्धति एवं प्रतिमान विषय पर तथा नौएडा एवं फरीदाबाद क्षेत्रों में विविध आंतरिक एवं बाह्य घटकों के मद्देनजर घरों के मूल्यों में भारी अंतर पर अध्ययन (स्टडी) कराया गया एवं इन दोनों अध्ययन कार्यों को पुस्तिकाओं के रूप में 19 जनवरी, 2009 को डॉ० राकेश मोहन, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने विमोचित किया।

अनुसंधान पुस्तिकाओं का विमोचन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के उपगवर्नर

नैरोबी में यू. एन. हैबिटैट की गवर्निंग काउंसिल का २२वां सत्र

यू०एन० हैबिटैट की गवर्निंग कांउसिल का 22वां सत्र दिनांक 30.03.2009 से 03.04.2009 को केन्या की राजधानी नैरोबी में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय आवास बैंक तथा यू०एन० हैबिटैट के क्षेत्र में मिलकर कार्य कर रहे हैं जिसके कारण यू०एन० हैबिटैट ने राष्ट्रीय आवास बैंक को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया था। राष्ट्रीय आवास बैंक ने कार्यक्रम के प्रदर्शनी स्थल पर एक स्टाल लगाया, जिसमें बैंक के कार्यों तथा उपलब्धियों को पोस्टरों तथा विवरणिकाओं के माध्यम से दर्शाया गया। सत्र में भाग लेने आये विभिन्न देशों के लोग बैंक के स्टाल पर आये तथा बैंक के कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की। सूक्ष्म आवास ऋण के क्षेत्र में बैंक द्वारा किया गए कार्य में लोगों ने विशेष रूप से रूचि दिखाई।

माननीय आवास, यातायात एवं पर्यावरण उप मंत्री मालदीव, श्री मोहम्मद फैज (बीच में)- के साथ बैंक के महाप्रबंधक के. मुरलीधरन एवं उप प्रबंधक पीयूष पांडेय

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास परियोजना के अंतर्गत निर्मित घरों को लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए समारोह

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास परियोजना के अंतर्गत निर्मित घर

भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री पी.चिदंबरम द्वीप प्रज्वलित कर नए घर का उद्घाटन करते हुए।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने ग्रामीण गरीबों की आवासीय जरुरतों को पूरा करने के अपने मिशन के क्रम में रेपको फांउडेंशन फार माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण (माइक्रो फाइनांस) देने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इस ऋण की प्रथम किस्त के रुप में 8 अगस्त, 2008 को 1.23 करोड़ रुपए निर्मोचित किए गए एवं 7 माह के रेकार्ड में समय में 126 घरों का निर्माण शिवगंगा, पुडुकोटटई तथा गुडुलुर में प्रथम चरण में पूरा किया गया तथा लाभार्थियों को इन घरों को सौंपने के लिए एक समारोह शिवगंगा में आयोजित किया गया।

लाभार्थयों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम एवं साथ में बैठे हैं राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस. श्रीधर एवं अन्य अतिथि गण

कार्यक्रम में भाग लेने आए स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं

रिवर्स मार्टगेज ऋण योजना पर संगोष्ठियां/कार्यक्रम

राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 15.01.2009 के हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'वरिष्ठ नागरिक मंच' के सहयोग से रिवर्स मार्टगेज ऋण योजना पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

रिवर्स मार्टगेज ऋण योजना राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 11.03.2009 को बैंगलुरू में एक प्रमुख स्वयंसेवी संगठन, नाइटएंगिल मेडिकल ट्रस्ट के कार्यालय परिसर में बैंक के सहयोग से रिवर्स मार्टगेज ऋण परामर्श केन्द्र की शुरूआत की गई। इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए.सी. महाजन थे।

दिनांक 23.03.2009 को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नई दिल्ली के जिमखाना क्लब में वहां के सदस्यों के लिए रिवर्स मार्टगेज ऋण योजना पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारी वर्ग के लिए आंतरिक कार्यशाला

दिनांक 20-21 फरवरी, 2009 को बैंक द्वारा कनिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों हेतु कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली में एक आंतरिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य कनिष्ठ एवं मध्यम (सहायक प्रबंधक से लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक) स्तर के अधिकारियों के लिए बैंक के द्वारा हाल ही में कार्यान्वित किए गए कार्यकलापों से अवगत करवाना और उनके कार्यान्वयन में उनके यथासंभव प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

इसके अलावा भविष्य में बैंक में प्रारंभ की जा सकने वाली योजनाओं के बारे में उन्हें सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्ष 2008-09 में अब तक कार्यभार ग्रहण करने वाले सहायक प्रबंधकों का एक परिचय

संजीव कुमार

मैं संजीव कुमार कानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मेरा जन्म 12.04.1979 को हुआ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केन्दीय विद्यालय से प्राप्त की; तदुपरांत कानपुर विश्वविद्यालय से 2002 में वाणिज्य एवं 2005 में पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। मै कानपुर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण में एक वर्ष तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में अतिथि प्रवक्ता के रूप में दो वर्ष कार्यरत रहा। वर्तमान में जुलाई 2008 से राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में सहायक प्रबंधक (पुस्तकालय) के पद पर कार्यरत हूं। मुझे क्रिकेट, टेबल टेनिस तथा अन्य कई खेलों में गहन रूचि है।

राम नारायण चौधरी

मेरा नाम राम नारायण चौधरी है। मेरा जन्म 06.06.1977 को मधुबनी जिला, बिहार में हुआ। मैंने वर्ष 2002 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से स्नातक (इतिहास) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद 25.08.2003 से 24.07.2007 तक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार के महत्वपूर्ण अनुभाग प्रशासन एवं बजट (आयकर) में लिपिक पद पर कार्य किया। वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में (विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग) सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा शौक अध्ययन, निबन्ध लिखना, वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, डायरी लिखना आदि है।

पंकज कुमार

मैं पंकज कुमार सिंह बिहार राज्य के भागलपुर शहर में जन्मा और वहीं से प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक की उपाधिक प्राप्त की और वहीं से फाइनेंसियल मार्केट एंड पोर्टफोलियो पर पी जी डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की तथा म्युचुअल फंड (परामर्श मॉड्यूल), कैपिटल मार्केट (डीलर मॉड्यूल) तथा डेरियेवेटिव मार्केट (डीलर व डेरियेवेटिव मॉड्यूल) पर सर्टीफिकेट कोर्स किए। इसके बाद रिलायंस मनी में ट्रेडर के रूप काम किया, तत्पश्चात रा. आ. बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। यहाँ मैं संसाधन प्रचालन एवं प्रबंधन विभाग में कार्यरत हूँ। सामाजिक कार्यों में भाग लेना एवं वाणिज्यिक चैनलों को देखना व विश्लेषण करना मेरी अभिरूचि है।

जगदीश

मैं जगदीश अलवर शहर, राजस्थान का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा अलवर में ही हुई और इसके पश्चात मैंने सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की । मेरी पहली नौकरी वर्ष 2008 के प्रारंभ में इलाहाबाद बैंक के परवीक्षाधीन अधिकारी (प्रोबेशनरी ऑफीसर) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के साथ हुई। इसके बाद अगस्त 2008 में मैंने सहायक प्रबंधक के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में मैं रेजीडेक्स एवं आवास नीति विभाग में कार्यरत हूँ। विभिन्न विषयों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना मेरा शौक है तथा विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल तथा बालीबॉल आदि में रूचि है।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्ष 2008-09 में अब तक कार्यभार ग्रहण करने वाले सहायक प्रबंधकों का एक परिचय

बी. प्रभु

मेरा नाम बी.प्रभु है। मेरा जन्म 1 अप्रैल 1986 को दिल्ली में हुआ पर मेरी परवरिश चेन्नई में हुई। मैंने गणित में बी.एम.सी. मद्रास विश्विद्यालय से अध्ययन किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक में शामिल होने से पहले मैं कारपोरेशन बैंक के वेम्बदीतालम शाखा, सेलम, तमिलनाडु में डेढ़ साल से काम कर रहा था। अब मै लगभग 7 महीनों से, जोखिम प्रबंधन और विकास विभाग में सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ।

मैं अब दिल्ली में अपने मामा के घर में रह रहा हूँ। इतने से समय मे मुझे दिल्ली बहुत पसंद आ गयी, लेकिन अब तक दिल्ली के मौसम से खुद को अनुकूलित नहीं कर पाया हूँ।

नितिन अग्रवाल

मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। मेरा जन्म 22.04.1981 को गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। मैने 10+2 के बाद अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विषय से बाबू बनारसी दास, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट, लखनऊ से पूरी की। इस समय मैं राष्ट्रीय बैंक, नई दिल्ली (मुख्यालय) के मानव संसाधन विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। दिल्ली का मिजाज मुझे पसंद आ रहा है, परन्तु लखनऊ जैसी शालीनता एवं उदारता का यहाँ पर्याप्त अभाव है। उच्च प्रदूषण एवं शोर चिंता का विषय है।

ललित गोयल

मैं ललित गोयल जयपुर, राजस्थान का निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा जयपुर में पूरी हुई। इसके बाद मैंने संगणक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है। मैंने कैनफिन होम्स लिमिटेड में 3 1/2 वर्ष सेवा की। वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में 15.10.2008 से सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे विविध समसामयिक विषयों का अध्ययन करने तथा संगीत सुनने में गहन रुचि है।

राजुलापति किरन कुमार

मेरा नाम राजुलापति किरन कुमार है। मेरा जन्म 23 मार्च, 1980 को राजामूंदरी, पूर्वीगोदावरी, आंध्रप्रदेश में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक स्तर तक की शिक्षा विजयवाडा, कृष्णा जिला आंध्रप्रदेश में हुई। मैंने स्नातक शिक्षा गणित, सांख्यिकी तथा कंप्युटर एप्लिकेशंस में पूरी की और सी डेक पुणे से डीएसी की अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त की। मैंने दिसंबर 2001 से अक्तूबर 2008 तक दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी सहकारी समिति, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में कंप्युटर सहायक के रूप में काम किया है। मैं 22 अक्तूबर, 2008 से रा.आ. बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं रा.आ. बैंक के हैदराबाद प्रतिनिधि कार्यालय में तैनात हूँ।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्ष 2008-09 में अब तक कार्यभार ग्रहण करने वाले सहायक प्रबंधकों का एक परिचय

रवि शास्त्री

मेरा नाम रवि शास्त्री है, मेरा जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ है और मेरी संपूर्ण शिक्षा राजधानी पटना में हुई है। मैंने विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए किया है। मैंने 14 नवंबर 2008 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वर्तमान में मैं व्यवसाय योजना एवं संवर्धन विभाग में कार्यरत हूँ। इस संस्थान में आने से पूर्व मैं पीएनबीएचएफएल नामक संस्थान की बैंगलूरू शाखा में कार्यरत था। अभी तक बैंक में कार्य अनुभव मूल्यवान एवं लाभप्रद रहे हैं।

सचिन शर्मा

मैं सचिन शर्मा मूल रूप से धौलपुर (राजस्थान) का निवासी हूँ। 12वीं धौलपुर से पास कर कोलकाता पहुँचा तथा वहां समुद्री अभियांत्रिकी में स्नातक होने के बाद एक शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी में कनिष्ठ अभियंता के तौर पर अटलांटिक महासागर की यात्रा की। भारत आने के बाद एक बंदरगाह पर सहायक तकनीकी प्रबंधक के तौर पर कार्य किया। वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। व्यंग्य लिखना, पढ़ना तथा फोटोग्राफी मेरे शौक हैं।

धीरज कुमार

मेरा नाम धीरज कुमार है, मेरा जन्म बिहार के गया जिला में हुआ है और मेरी संपूर्ण शिक्षा गया जिल में हुई है। मैने मगध विश्विद्यालय, बोध गया, से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और 1 जुलाई, 2003 को मेरी पहली नियुक्ति दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग में एलडीसी के पद पर हुई, जहाँ लगभग पौने पाँच वर्षों तक सेवाएं प्रदान की। इसके बाद लगभग 9 माह तक मैने दिल्ली सरकार के जन शिकायत आयोग को अपनी सेवाएं प्रदान कीं। मैंने 4 दिसंबर, 2008 को रा.आ. बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और प्रशासन विभाग में कार्यरत हूँ। लेखन, अध्ययन एवं वादविवाद प्रतियोगिता में भाग लेना मेर शौक है।

कार्यपालक निदेशक श्री सुरेन्द्रकुमार जी के सेवा निवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह

दिनांक 31.03.2009 को बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री सुरेन्द्र कुमार जी सेवानिवृत्त हुए। उनकी विदाई के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया जिसे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस. श्रीधर तथा कार्यपालक निदेशक, श्री राज विकास वर्मा ने संबोधित किया व शुभकामनाएं दीं। कार्यपालक निदेशक, श्री सुरेन्द्र कुमार जी ने अपने अनुभव सुनाए एवं बैंक के अधिकारियों की प्रगति की शुभकामनाएं कीं।

आपकी पाती

महोदय

आपके कार्यालय के दिनांक 22 जनवरी, 2008 के पत्र सं. रा.आ.बैं (न.दि.)/आवास भारती/14/2009 के साथ ''आवास भारती'' का अक्टूबर-दिसम्बर, 2008 का नूतन अंक प्राप्त हुआ है। पत्रिका प्रेषण हेतु धन्यवाद।

''आवास भारती'' में प्रकाशित लेख समसामयिक एवं ज्ञानवर्धक है। ''राष्ट्रीय आवस बैंक की कुछ उपलब्धियाँ'' संबंधी लेख भी प्रशंसनीय है। भविष्य में भी आवास भारती के नित-नूतन अंकों का प्रेषण करते रहे। पत्रिका प्राप्ति व तीव्रोत्तर विकास की कामना सहित।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)

वरिष्ठ प्रबंधक एस.जी. (राजभाषा)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

महोदय

पत्रिका में संकलित सभी लेख उच्चकोटि के तथा ज्ञानप्रद हैं। अंक में प्रकाशित ''विकास का सपना - हम सबका सपना'' यह लेख जानकारीपूर्ण है।

आपकी इस उपलब्धि के लिए हमारी हार्दिक बधाई स्वीकारें।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हमारी शुभकामनाएँ।

भवदीय

(सूरज प्रकाश)

सहायक महा प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

महोदय

आपकी त्रैमासिक हिंदी पत्रिका आवास भारती का अक्तूबर- दिसम्बर, 2008 का अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद!

पत्रिका में लेख-सबके लिए शिक्षा : वैश्विक प्रयास व भारत का सर्वशिक्षा अभियान ज्ञानवर्धक व प्रेरणास्प्रद है। पत्रिका में अन्य सभी लेख सारगर्भित व पठनीय हैं। पत्रिका की बाह्य साज-सज्जा सुरुचिपूर्ण एवं मोहक है। पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएँ।

सादर,

भवदीय

(अनंगपाल सिंह पंवार)

उप-प्रबंधक

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि.

महोदय

राष्ट्रीय आवास बैंक की त्रैमासिक राजभाषा पत्रिका ''आवास भारती'' अक्तूबर से दिसम्बर, 2008 का अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित विशेष रूप से आवास, वित्त एवं सम-सामयिक विषयों के लेख/रचनाएं पठनीय, संग्रहणीय एवं रोचक हैं।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हमारी शुभकामनाएं।

भवदीय

(डॉ. बी.एम. प्रसाद)

मुख्य हिंदी अधिकारी

दि हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लि.

महोदय

आपके द्वारा अक्टूबर-दिसम्बर, 2008 की त्रैमासिक पत्रिका ''आवास भारती'' प्राप्त हुई। पत्रिका प्रेषण हेतु धन्यवाद।

सर्वप्रथम, राष्ट्रीय आवास बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन तथा गृह पत्रिका प्रतियोगिता में ''आवास भारती'' को प्रथम पुरस्कर से सम्मानित होने के लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

पत्रिका में बैंकों पर लेख ज्ञानवर्धक तो हैं ही, महानगरीय कचरे की समस्या पर भी गहरा विचार मंथन किया गया है। मुम्बई पर प्रकाशित विस्तृत लेख एवं महाराष्ट्र राज्य की जानकारी वास्तव में ज्ञान को अद्यतन करने वाला है। मेरा निवेदन है कि पत्रिका में प्रूफ रीडिंग/एडिटिंग स्तर पर ध्यान केंद्रित अवश्य किया जाए।

धन्यवाद !

भवदीय

(राकेश कुमार सुन्दरियाल)

हिंदी अधिकारी

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेट

महोदय

सर्वप्रथम दिल्ली बैंक नराकास द्वारा सर्वोकृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन एवं आवास भारती हेतु प्राप्त प्रथम पुरस्कार हेतु हमारी बधाई स्वीकार करें।

आवास भारती का विषयांकित अंक अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। इसमें दी गई सामग्री बहुत ही स्तरीय, उपयोगी एवं रोचक है।

इस अंक में महानगरीय समस्या-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सबके लिये शिक्षा, भारत के प्रदेश शीर्ष के अन्तर्गत महाराष्ट्र पर लेख बहुत ही अच्छे हैं।

इस उत्कृष्ट पत्रिका के संपादन से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई।

सधन्यवाद।

भवदीय

(सतीश कुमार मुकटे)

मुख्य प्रबंधक-राजभाषा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रॉपर्टी पहेली ?

केवल एक क्लिक
पर समाधान!

लॉग ऑन करें
एनएचबी हाउसिंग इंफो इंडिया
www.housingindia.info
घर खरीदने, बेचने, किराए पर देने
निर्माण कराने तथा आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति
पर ऋण लेने के लिए संपूर्ण एवं
भरोसेमंद जानकारी प्राप्त करें।

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)

पंजी. सं. DELHI IN/2001/6138

कीजिए अपने निवेश का भरपूर पोषण

प्राप्त कीजिए

एन एच बी
सुनिधि
सावधि जमा योजना
अधिक वापसी • सुरक्षित • स्मार्ट

एन एच बी
सुवृद्धि
सावधि जमा योजना
(कर बचत)
अधिक वापसी • सुरक्षित • स्मार्ट

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)

मुद्रण तिथि : 30 अप्रैल, 2009

कवर डिज़ाइन : नीति जैन/एक्युरेट प्रिन्टस : 9871196002